

WELCOME LETTER

Date:

Client ID.	Your Branch Representative Details:
Policy No.	Name
Proposal No.	Contact No.

Dear ,

Welcome to the Canara HSBC Oriental Bank of Commerce Life family. We would like to congratulate you on purchasing Canara HSBC Oriental Bank of Commerce Life Insurance Shubh Labh. Please note that this is a 'Single Premium' plan.

This document is your policy contract and contains important information related to your policy. We would recommend that you read this document carefully to ascertain if the details mentioned are accurate.

If you wish to rectify any of the details provided by you in the policy, then please get in touch with our **Resolution center: 1800-103-0003 / 1800-180-0003 (BSNL/MTNL users) or your bank branch representative**. You can also **SMS us at 9779030003** or write to us at customerservice@canarahsbclife.in and our representative will contact you at your convenience.

We are confident that our product will meet your requirements, however in case the policy terms and conditions are not agreeable to you then you can opt for a cancellation and discontinue your policy. If you decide to opt for cancellation, we would request you to send back this policy contract along with the reason for non-acceptance within 15 days from receipt of this document. In case you opt for cancellation within the said 15 days, you will receive the Fund Value and any unallocated premium along with the charges deducted. This amount will be paid subject to deduction of the proportionate risk related charges, stamp duty and medical expenses, if any. Please note that this facility is available only at the first instance, on receipt of the original policy pack, and will not apply to duplicate policy packs issued by the Company on your request.

As an added convenience for you, we offer an easy-to-navigate online system to manage your policy. Log on to our website www.canarahsbclife.com and register to start using this service.

Thank you for giving us the opportunity to service your Insurance needs and we will ensure we are here to fulfill all your policy servicing needs.

Yours Sincerely,



Chirag Jain
Chief Operating Officer

अभिनंदन पत्र

तिथि:

ग्राहक आईडी	आपके बैंक प्रतिनिधी का विवरण:
बीमा संख्या	नाम
प्रस्ताव संख्या	दूरभाष

प्रिय ,

केनरा एचएसबीसी ओरियंटल बैंक ऑफ कामर्स लाइफ परिवार में आपका स्वागत है। हम आपको Canara HSBC Oriental Bank of Commerce Life Insurance Shubh Labh खरीदने की बधाई देते हैं। कृपया नोट करें कि "सिंगल प्रीमियम" प्लान है।

यह दस्तावेज आपके बीमे का अनुबंध है जिसमें आपकी पॉलिसी से संबंधित महत्वपूर्ण सूचना शामिल हैं। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप कृपया दस्तावेज का अध्ययन ध्यानपूर्वक करें और विवरण की जांच कर लें कि वो सही हों।

यदि आप बीमा में आपके द्वारा मुहैया कराए गए विवरण में कोई संशोधन कराना चाहते हैं तो कृपया इसकी सूचना हमारे समाधान केन्द्र को 1800-103-0003/1800-180-0003 (बीएसएनएल/एमटीएनएल उपयोगकर्ता) पर संपर्क करें या आपके बैंक के प्रतिनिधी को दें। आप हमें 9779030003 पर एसएमएस कर सकते हैं या customerservice@canarahsbclife.in पर हमें लिख सकते हैं, हमारा प्रतिनिधी आपकी सुविधा अनुसार आपको संपर्क करेगा।

हमें विश्वास है कि यह पॉलिसी आपकी आवश्यकताओं को पूरा करेगी, परन्तु अगर आप बीमा के नियम और शर्तों से सहमत नहीं हैं तो आप केन्सलेशन के विकल्प का चुनाव कर इसे बंद कर सकते हैं। आपके द्वारा \ कैंसिलेशन का विकल्प चुनने की स्थिति में हम आपसे इस प्रलेख को प्राप्त करने के 15 दिनों के अंदर अस्वीकार करने के कारण सहित इस पॉलिसी संविदा को वापस भेजने का अनुरोध करेंगे। आपको फंड मूल, कोई भी अनावटित प्रीमियम और काटे गए शुल्कों के साथ प्राप्त होगा। यह राशि आनुपातिक जोखिम संबंधी शुल्कों, स्टैंप शुल्क और चिकित्सीय खर्च, यदि कोई हो, की कटौती के अधीन होगी। कृपया नोट करें कि यह सुविधा मूल बीमा दस्तावेज प्राप्त होने पर केवल प्रथमतः उपलब्ध होगी, और यह आपके अनुरोध पर कंपनी द्वारा जारी डुप्लिकेट बीमा दस्तावेज पर लागू नहीं होगी।

आपको एक और सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से हम पॉलिसी का प्रबंधन करने के लिए नेवीगेट करने में आसान ऑनलाइन सिस्टम की भी पेशकश करते हैं। इस सेवा का इस्तोमाल करने के लिए हमारी वेबसाइट www.canarahsbclife.com पर लॉग ऑन करके इस पर अपना पंजीकरण कराएं।

हम आपकी पॉलिसी सेवा संबंधी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आपकी सेवा में हमेशा तत्पर हैं।

धन्यवाद,

चिराग जैन
चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर

TABLE OF CONTENTS / विषय-सूची

S. No.	Contents/ विषय-वस्तु
1.	<p>Policy Schedule / बीमा अनुसूची</p> <p>This section contains the details like your name, date of birth, Product name, single premium amount etc., as provided in the proposal form. इस खंड में आपका नाम, जन्म तिथि, प्रोडक्ट का नाम, प्रीमियम भुगतान करने की अवधि और प्रीमियम की रकम आदि का विवरण दिया गया है, जैसा कि प्रस्ताव फार्म में उल्लेख किया गया है।</p>
2.	<p>Statement of Account / खाते का विवरण</p> <p>This section contains the details of the single premium paid, Charges deducted and fund detail. इस खंड में अदा किए गए प्रीमियम, काटे गए प्रभारों और फंड का विवरण दिया गया है।</p>
3.	<p>Premium Receipt / प्रीमियम रसीद</p> <p>This section contains the details of the single premium paid which can be used for claiming tax benefits as applicable. इस खंड में प्रीमियम की रसीद दी गई है, जिसका इस्तेमाल यथा लागू कर लाभों का दावा करने के लिए किया जा सकता है।</p>
4.	<p>Endorsement / पृष्ठांकन</p> <p>This section reflects the stamp duty paid towards the policy and can be used for assigning the policy in future. इस खंड में पॉलिसी के लिए अदा किया गया स्टाम्प शुल्क दर्शाया गया है और इसका इस्तेमाल भविष्य में पॉलिसी को समनुदेशित करने के लिए भी किया जा सकता है।</p>
5.	<p>Terms and Conditions / नियम एवं शर्तें</p> <p>This section contains terms and conditions of your policy. इस खंड में आपकी पॉलिसी की नियम एवं शर्तें दी गई हैं।</p>
6.	<p>Grievance Redressal / शिकायत निवारण</p> <p>This section contains the Grievance Redressal procedure of the Company and contact details in case of any complaint. इस खंड में कंपनी की शिकायत निवारण कार्यविधि और किसी तरह की शिकायत के मामले के लिए संपर्क का विवरण दिया गया है।</p>
7.	<p>List of Insurance Ombudsmen / बीमा लोकपालों की सूची</p> <p>This section contains the contact details of life insurance Ombudsmen offices available across India. इस खंड में, भारतभर में उपलब्ध बीमा लोकपाल कार्यालयों के संपर्क विवरण दिए गए हैं।</p>
8.	<p>Branch Locator / ब्रांच लोकेटर</p> <p>This section contains the address and contact details of our offices across India. You can get in touch or visit any of our offices in case of any services required. इस खंड में, भारतभर में हमारे कार्यालयों के पते और संपर्क विवरण दिए गए हैं। आपको यदि किसी सेवा की जरूरत है तो आप हमारे कार्यालय के संपर्क में रह सकते हैं या आप विजिट कर सकते हैं।</p>
9.	<p>Copy of Proposal Form / प्रस्ताव फार्म की प्रतिलिपि</p> <p>This section contains the copy of the proposal form of Life Insurance submitted by you for this Insurance policy इस खंड में, आपके द्वारा इस बीमा पॉलिसी के लिए प्रस्तुत किये गए जीवन बीमा के प्रस्ताव फार्म की प्रतिलिपि दी गई है।</p>

POLICY SCHEDULE / बीमा अनुसूची

Canara HSBC Oriental Bank of Commerce Life Insurance Company Limited (the Company) has received a Proposal and single premium from the Policyholder. The Proposal and declaration along with statements, reports or other documents leading to the issuance of this policy has been accepted by the Company and the Policyholder as the basis of this contract. This contract will be valid in consideration of and subject to receipt of the single premiums mentioned below, the terms and conditions of this Policy or any riders attached and any endorsements made. The Company shall pay relevant benefits and other amounts that become payable upon occurrence of one or more events mentioned in this Policy on receipt of proof that is satisfactory to the Company. The date of commencement of risk under this policy is as mentioned below.

केनरा एचएसबीसी ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (कंपनी) को बीमाधारक से प्रस्ताव और सिंगल प्रीमियम प्राप्त हुआ है। विवरणों, रिपोर्ट या इस बीमा को जारी करने से संबंधित अन्य दस्तावेजों सहित प्रस्ताव, घोषणा और पॉलिसीधारक को कंपनी द्वारा इस अनुबंध के आधार पर स्वीकार कर लिया गया है। यह अनुबंध इस पर विचार बीमा के नियम और शर्तों या संलग्न कोई अन्य राइडर और किए गए किसी पृष्ठांकन के अध्यधीन होगी। कंपनी संगत लाभों और अन्य राशियों का भुगतान करेगी जो बीमा में दिए गए किसी एक या अधिक घटनाओं के घटित होने पर साक्ष्य द्वारा कंपनी को संतुष्ट करता हो। इस बीमा के तहत जोखिम के आरंभ होने की तिथि का उल्लेख नीचे किया गया है:

Policy Holder Details / बीमाधारक का विवरण	Life Assured Details / बीमाकृत व्यक्ति का विवरण
Name / नाम	
Date of Birth / जन्म तिथि	
Age / आयु	
Gender / लिंग	

Policy Schedule Details / बीमा अनुसूची का विवरण

Policy Number / बीमा संख्या	
Plan Name / प्लान का नाम	Canara HSBC Oriental Bank of Commerce Life Insurance Shubh Labh
Plan Type / प्लान का प्रकार	Individual / Unit-linked / Non Participating / Life / Single Premium Endowment
Policy Term (Years) / बीमा अवधि (वर्ष)	
Premium Paying Term (Years) / प्रीमियम भुगतान करने की अवधि (वर्ष)	Single Premium / सिंगल भुगतान
Single Premium (₹) / सिंगल प्रीमियम (₹)	
Age Admitted / स्वीकृत आयु	
Risk Commencement Date / जोखिम प्रारंभ होने की तिथि	
Policy Commencement Date / बीमा प्रारंभ होने की तिथि	
Premium Payment Frequency / प्रीमियम भुगतान की आवृत्ति	SINGLE PREMIUM / सिंगल भुगतान
Next Premium Due Date / अगली प्रीमियम की देय तिथि	NOT APPLICABLE / लागू नहीं है
Last Premium Due Date / अंतिम प्रीमियम की देय तिथि	NOT APPLICABLE / लागू नहीं है

Benefit Coverage Details / आने वाले लाभों का विवरण

Sum Assured (₹) / बीमाकृत रकम (₹)	
Maturity Date / परिपक्वता तिथि	
Safety Switch / सेफ्टी स्विच	
Auto Funds Rebalancing / ऑटो फंड्स रीबैलेंसिंग	

Nominee Details* / नामिति का विवरण*

Name / नाम	Gender / लिंग

*Nominee details under section 39 of Insurance Act, 1938. / *बीमा अधिनियम, 1938 के खंड 39 के तहत नामिति का विवरण।

Appointee Name (in case nominee is minor) नियुक्त व्यक्ति का नाम (अगर नामिति नाबालिग है)

STATEMENT OF ACCOUNT / खाते का विवरण

Policyholder's Name / बीमाधारक का नाम

Policy Number / बीमा संख्या

Transaction Date / लेन-देन की तिथि

Charges Deducted / घटित प्रभार

Single Premium (₹) / सिंगल प्रीमियम (₹)

Premium Allocation Charge (₹) / प्रीमियम आबंटन प्रभार (₹)

Net Premium Invested (₹) / निवेश किया गया शुद्ध प्रीमियम (₹)

Administration Charge (₹) / प्रशासन प्रभार (₹)

Mortality/Risk Charge (₹) / मृत्यु प्रभार (₹)

Service Tax (₹) / सेवा कर (₹)

Fund Details* / फंड का विवरण*

Name of Fund / फंड का नाम	Initial Fund allocation / प्रारंभिक फंड आबंटन	No. of Units / यूनिटों की संख्या	NAV (₹) / एनएवी (₹)	Amount (₹)/राशि (₹)
Equity II Fund / इक्विटी II फंड				
Growth Plus Fund / ग्रोथ प्लस फंड				
Balanced Plus Fund / बैलेंस्ड प्लस फंड				
Debt Plus Fund / डेब्ट प्लस फंड				
Liquid Fund / लिक्विड फंड				
Total Fund Value(₹) / कुल फंड मूल्य(₹)			As on date:	

SFIN (Segregated Fund Index Number) / सेग्रेगैटेड फंड इन्डेक्स नंबर - Equity II Fund / इक्विटी II फंड: ULIF00607/01/10EQUITYIIFND136, Growth Plus Fund / ग्रोथ प्लस फंड: ULIF00913/09/10GROWTPLFND136, Balanced Plus Fund / बैलेंस्ड प्लस फंड: ULIF01013/09/10BLNCDPLFND136, Debt Plus Fund / डेब्ट प्लस फंड: ULIF01115/09/10DEBTPLFUND136, Liquid Fund / लिक्विड फंड: ULIF00514/07/08LIQUIDFUND136, & Discontinued Policy Fund / डिस्कॉन्टिन्यूड बीमा फंड ULIF01319/09/11POLDISCFND136.

This is a computer generated statement and does not require signature. / यह कंप्यूटर से तैयार किया गया दस्तावेज है और इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं होती है



PREMIUM RECEIPT / प्रीमियम रसीद

Receipt Number / रसीद संख्या:

Date / तिथि:

Policy Number / बीमा संख्या	
Policy Holder / बीमाधारक	
Plan Name / योजना का नाम	Canara HSBC Oriental Bank of Commerce Life Insurance Shubh Labh
Life Assured / बीमाकृत व्यक्ति	
Premium Payment Frequency / प्रीमियम भुगतान की आवृत्ति	SINGLE PREMIUM / सिंगल भुगतान
Sum Assured (₹) / बीमाकृत रकम (₹)	

Payment Related Information / भुगतान संबंधी सूचना

Single Premium (₹)* / सिंगल प्रीमियम (₹)*	
Total Premium Received (₹) / कुल प्राप्त प्रीमियम (₹)	
Balance Premium (₹) / शेष प्रीमियम (₹)	
Next Premium Due Date / अगले प्रीमियम की देय तिथि	NOT APPLICABLE / लागू नहीं है

* You may be entitled for tax benefits under Section 80C as per the Income tax Act, 1961. Tax Benefits under the policy will be as per the prevailing Income Tax laws and are subject to amendments from time to time. For tax related queries, contact your independent tax advisor. The amount indicated as balance premium, if any, will not earn any interest and will be refunded. Service Tax registration no. AADCC1881FST001.

Service tax applicable. The Single Premium received by the Company, net of taxes, if any, and after deducting applicable Premium Allocation Charges has been allocated to the funds in the percentage indicated above. Service tax & educational cess are as per the prevailing tax laws, which is subject to change. For tax related queries, please contact your tax consultant.

*आप आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार खंड 80सी के अंतर्गत कर लाभ के पात्र हो सकते हैं। पॉलिसी के अंतर्गत देय लाभ प्रचलित आयकर कानून और समय समय पर किए जाने वाले संशोधन पर निर्भर हैं। कर संबंधी जानकारी के लिए, कृपया अपने स्वतंत्र कर सलाहकार से संपर्क करें। शेष प्रीमियम के रूप में इंगित राशि, यदि कोई, पर कोई ब्याज अर्जित नहीं होगा और इसे वापस किया जाएगा। सेवा कर रजिस्ट्रेशन संख्या AADCC1881FST001.

सेवा कर लागू। कंपनी को प्राप्त हुआ सिंगल प्रीमियम, कुल कर, यदि कोई हो, और लागू प्रीमियम आवंटन शुल्कों को काटने के बाद, बताए गए प्रतिशत के अनुसार फंड में आबंटित किया गया है। सेवा कर और शिक्षा उपकर लागू कानून के अनुसार होंगे और इनमें परिवर्तन संभव है। कर संबंधी जानकारी के लिए अपने कर सलाहकार से संपर्क करें।



ENDORSEMENTS / पृष्ठांकन

Total Stamp Value (₹)

कुल मुद्रांक मूल्य (₹)

"The appropriate stamp duty towards this policy is paid"

" इस पॉलिसी की उचित स्टैम्प ड्यूटी अदा हो चुकी है "



ENDORSEMENTS / पृष्ठांकन



IN THIS POLICY, INVESTMENT RISK IN THE INVESTMENT PORTFOLIO IS BORNE BY THE POLICYHOLDER

Canara HSBC Oriental Bank of Commerce Life Insurance Shubh Labh

UIN – 136L025V01

TERMS AND CONDITIONS

1. Introduction & Definitions

1.1 This policy document evidences a legal contract between the Policyholder and Canara HSBC Oriental Bank of Commerce Life Insurance Company Limited which has been concluded on the basis of the proposal form and other documents evidencing insurability of the Life Assured. This is a Single Premium Unit Linked policy which enables the policyholder to receive death benefits and participate in the investment performance of the fund to the extent of units allocated against single premium paid. The policy does not confer a right on the policyholder to participate/share the profits or surplus of the business of the Company.

These terms and conditions are divided into numbered Clauses for ease of reference and reading. These divisions and the corresponding Clause headings do not limit the Policy or its interpretation in any way. References to any Act, regulation, guidelines etc shall include subsequent changes to the same. All references to 'age' shall refer to age as per the last birthday. The terms 'you', 'your' used in this document refer to the Policyholder and shall include the Nominee/Claimant for the purposes of payment of benefits in case the Policyholder is not the Life Assured. 'We', 'us' or 'our' refers to Canara HSBC Oriental Bank of Commerce Life Insurance Company Limited.

1.2 Definitions

- (a) **Business Day** means days other than holidays where stock exchanges with national wide terminals are open for trade (other than day on which exchanges are open for testing) or any day declared by the Authority as Business Day;
- (b) **Discontinued Policy Fund (ULIF01319/09/11POLDISCFND136)** means the segregated fund maintained by the Company into which Fund Values under policies which are surrendered during the Lock-in Period are credited subject to deduction of Surrender Charges as applicable, to be paid out to the respective Policyholders on expiry of the Lock-in Period, except in case of death of the Life Assured in which case the benefit as per clause 2.1 (b) shall be paid out immediately. The Company shall levy Fund Management Charges as mentioned in Annexure-1. The amounts credited to the Discontinued Policy Fund shall earn a minimum guaranteed interest rate of 4.00% per annum or any other interest rate as prescribed by the Regulator from time to time;
- (c) **Fund Value** means at any point in time, the total number of Units under the policy multiplied by the applicable Unit Price;
- (d) **Lock-in Period** means the period of five consecutive years from the Policy Commencement Date during which no benefits shall be paid under this policy, except in case of death of the Life Assured;
- (e) **Net Asset Value ("NAV")** means the market value of investments held under the Unit Linked Fund plus the value of any current assets and any accrued income net of Fund Management Charges (including any applicable Service Tax thereon) less the value of any current liabilities and provisions, if any.
- (f) **Unit Price** means the price of each Unit under a fund arrived at by dividing the NAV by the total number of outstanding units in the respective Unit Linked Fund;
- (g) **Policy Year** means the 12 calendar months period commencing from the Policy Commencement Date and ending on the day immediately preceding the first policy anniversary and each subsequent period of 12 consecutive months thereafter during the policy term;
- (h) **Unit** means a portion or part of the underlying segregated Unit Linked Fund;
- (i) The Terms '**Risk Commencement Date**', '**Policy Commencement Date**', '**Sum Assured**' '**Life Assured**', '**Policyholder**', '**Policy Term**', '**Premium Payment Term**', '**Nominee**' and '**Appointee**' shall mean the respective dates, amount or names mentioned against each of them in the Policy Schedule.

2. Benefits under the Canara HSBC Oriental Bank of Commerce Life Insurance Shubh Labh

2.1 Death Benefit

- (a) If the death of the Life Assured occurs on or after the Risk Commencement Date during the policy term while the policy is in force and not been surrendered and the claim is admitted, we will pay you highest of the following as Death Benefit:
 - (i) Sum Assured less partial withdrawals if any made during the two years preceding death of the Life Assured. In case Life Assured is aged 60 years or more at the time of Death, then all the partial withdrawals made after the Life Assured reaches 58 years of age would be deducted; OR
 - (ii) Fund Value as on the date of the registration of death claim with us; OR
 - (iii) 105% of Single Premium
- (b) During the first five policy years, if death of the Life Assured happens after the policy has been surrendered, the Death Benefit shall be higher of
 - (i) Fund Value in Discontinued Policy Fund, or
 - (ii) Surrender Value along with a minimum guaranteed interest rate of 4.00% per annum over the period between date of surrender till the date of Death.
- (c) If the Life Assured commits suicide for any reason, while sane or insane, within one year from the Risk Commencement Date no Death Benefit shall be payable under the policy and only the Fund Value as on the date of registration of the death claim with the Company shall be payable. This policy shall terminate on payment of the above benefits, or on our communicating the decision not to pay benefits under this policy as per the terms and conditions in line with applicable law.

2.2 Requirements for Death Benefit Claims

In the event of death of the Life Assured, to receive the benefits payable under this policy the nominee shall endeavor to tell us in writing within a period of 60 days of such death through the Claim Intimation Form along with the following documents: Original policy document, Claim

formats provided by us (Claimant's statement, Treating hospital certificate, Attending physician's statement, Employer's certificate), Death certificate, First Information Report, Post mortem report (if applicable), your identity and address proofs, Hospital records/other medical records and such other documents as required by us for evaluation of your claim.

2.3 Loyalty Additions

Subject to the Policy being in force the Company shall credit the additional units in the Policyholder's unit account in the form of Loyalty Additions at the end of every policy month starting from fifth policy year. The Loyalty Additions will be determined as percentage of the Fund Value on the last day of every policy month and the rate of Loyalty Additions is 0.06% per month. Loyalty Additions once added to the Fund Value are guaranteed. However, no loyalty addition shall be added to a policy once it is Surrendered.

2.4 Maturity Benefit

If the Life Assured survives the Maturity Date and the Policy is in force on the date of Maturity, the Company shall pay the Maturity Benefit to the Claimant which shall be equivalent to the Fund Value computed on the basis of the closing NAV of the Maturity Date. The Policyholder shall have the option to receive the entire Maturity Benefit through structured payouts over a period not exceeding five (5) years as per the Settlement Option as defined under Clause 3.6.

3. Special Features of the Plan

3.1 Increase / Decrease of the Sum Assured

Subject to the Policy being in force and after completion of five policy years the Policyholder may at any time during the Policy Term, request us to increase/decrease the Sum Assured. Such increase/decrease in the Sum Assured can be exercised once in a Policy Year, subject to a total of three times during the entire Policy Term. For this purpose, you shall make an application in writing to us at least two months prior to the next Policy Anniversary. The following conditions shall apply for such requests:

- The Life Assured should not be a Minor or aged above fifty years at the time of such request. In case of minor or aged above 50 years only decrease in Sum Assured shall be available at the time of request;
- Such increase /decrease shall be in accordance with the applicable Regulations, subject to underwriting acceptance and may result in increase or decrease in mortality charges depending on the nature of the request;

3.2 Partial Withdrawals

You have the right to make partial withdrawals from sixth Policy Year onwards or the Life Assured attaining 18 years of Age, whichever is later. The minimum amount that may be partially withdrawn in any one transaction shall be Rs 10,000/-. Partial withdrawal at any time shall not result in the Fund Value after the partial withdrawal falling below twenty five percent (25%) of single premium paid under this policy. Any partial withdrawal made shall be net of partial withdrawal Charges, as provided in Annexure 1. In case this Policy is absolutely assigned the "Assignee" shall be entitled to Partial Withdrawal as per the terms and conditions mentioned herein.

3.3 Switching

You may change the investment pattern of the available units in your account by switching from one Unit Linked Fund to another (in whole or in part). The minimum amount to be switched or value of Units to be switched shall be Rs. 10,000/-. Requests for switching may indicate the percentage of Units in the respective funds to be switched or the amount representing the value of Units to be switched. There is no charge for switching.

3.4 Safety Switch Option

You may at any time during the Policy Term but atleast four (4) Policy Years before the Maturity Date, opt for the Safety Switch Option, by giving a written intimation to the Company and Funds under this Policy shall be allocated by the company to the Liquid Fund in last four (4) Policy Years as per the following schedule:

Beginning of	Fund allocation in funds other than Liquid Fund	Liquid Fund allocation
Fourth last policy year	70%	30%
Third last policy year	40%	60%
Second last policy year	10%	90%
Last policy year	0%	100%

- Auto Funds Rebalancing and Safety Switch Option cannot be exercised simultaneously. Hence, Auto Fund Rebalancing, if opted for earlier, will cease to exist once Safety Switch Option is chosen.
- The policyholder can opt for settlement option even after Safety Switch Option is operational.
- In case of Partial withdrawal, Safety Switch Option will be exercised on the balance amount remaining in the account.
- While Safety Switch Option is operational, switching is allowed among the funds other than liquid fund. Switching in or out of the liquid fund will cause the Safety Switch Option to cease.

3.5 Auto Fund Rebalancing

- a. You can choose this option at inception or anytime later in the policy.
- b. If Auto Fund Rebalancing is opted for, at the end of every policy quarter, this feature automatically rebalances the allocation of the investments in various Funds as per the allocation proportions chosen by you.
- c. Auto Fund Rebalancing will cease to exist in case a Switch option is exercised by the Policyholder. In case the Policyholder wants to continue with Auto Fund Rebalancing, he will be required to submit a new request.
- d. In case the Policyholder opts for Partial Withdrawals, Auto Fund Rebalancing will be done on the remaining Funds.
- e. Auto Fund Rebalancing and Safety Switch Option cannot be exercised simultaneously. However, Auto Fund Rebalancing will cease to exist once Safety Switch Option is operational in last 4 policy years.

3.6 Settlement Option

The Policyholder may exercise this option to receive the Maturity Benefit through structured payouts over a period by making a written request to the Company at least three (3) months prior to the Maturity Date indicating his intention to exercise the Settlement Option. The exercise of this option shall be subject to fulfillment of the following conditions:

- (i) The Policyholder may exercise this option to receive the Maturity Benefit in periodic installments, for a maximum period of up to five (5) years from the Maturity Date ("Settlement Period");
- (ii) Units shall be encashed in respect of each payout at the NAV applicable on the date of each payout under the Settlement Option;
- (iii) No Benefits including Death Benefit or Rider Benefit, if any, shall be payable during the Settlement Period. In the event of the death of the Life Assured during the Settlement Period, the remaining Fund Value as on the date of intimation of death shall be payable to the nominee / appointee / legal heir and the policy will be terminated.
- (iv) Fund Management Charges shall continue to be charged by the Company during the Settlement Period;
- (v) The Policyholder agrees and acknowledges that all investment risks and risks inherent in receiving the Maturity Benefit under the Settlement Option will continue to be borne entirely by the Policyholder;
- (vi) Switches or Partial Withdrawals shall not be allowed during the Settlement Period;
- (vii) The frequency of payout during the Settlement Period can be monthly, quarterly, half-yearly or annual as opted by the Policyholder;
- (viii) The Policyholder shall be entitled, at any time during the Settlement Period, to cancel the Settlement Option and withdraw the Fund Value as on that date, on which payment, the Policy shall be terminated and no further amounts shall be payable by the Company.

4.1 Surrender

The policy can be surrendered anytime during the policy term by the Policyholder. On surrender, the life cover under the policy shall expire. The Surrender Value shall be the Fund Value on the date of surrender reduced by applicable surrender charges as defined in Annexure-I.

If the policy is surrendered before completion of the Lock-in Period, the Surrender Value under the policy will be transferred to the Discontinued Policy Fund and shall be paid to the policyholder on completion of the Lock in Period and the policy shall stand terminated. The Company shall pay a minimum guaranteed interest rate at 4.00% per annum on the funds in the Discontinued Policy Fund.

If the policy is surrendered after completion of five policy years, the Fund Value shall be paid immediately and the Policy shall stand terminated.

4.2 Auto termination of policy

Notwithstanding any other clause in this Policy and after completion of first five Policy Years, if the Fund Value at anytime falls below ten percent (10%) of the Single Premium on any monthly policy anniversary due to poor market performance, this policy shall terminate automatically and the Fund Value as on the date of such termination shall be payable to you.

5. Unit Account

For the purpose of this policy, we will maintain an account called the Unit Account, to which the Single premium received under this policy, shall be credited, net of applicable Charges in the respective Unit Linked Funds in the proportion as chosen by you. The amount credited shall be utilized for purchase of Units at the applicable NAV in the Unit Linked Fund offered by us in respect of this policy.

6. Charges

We shall levy the Charges as detailed in Annexure 1 during the term of this policy. We reserve the right to revise the Charges, with the prior approval of the Insurance Regulatory and Development Authority (IRDA), up to the maximum limits mentioned against each charge. All Charges are subject to applicable taxes and levies (present or future), including service tax, which shall be borne by you.

7. Unit Linked Funds

- 7.1 The Unit Linked Fund(s) offered by us as at the Policy Commencement Date and the indicative portfolio allocations and risk profiles of such Unit Linked Fund(s) are as follows:

1. **Equity II Fund: (SFIN: ULIF00607/01/10EQUITYIIFND136)**

Assets	Minimum	Maximum	Risk profile	Objective
Equity	60%	100%	High	Generate long-term capital appreciation from active management of a portfolio invested in diversified equities.
Money Market	NIL	40%		

2. **Growth Plus Fund (SFIN: ULIF00913/09/10GROWTPLFND136)**

Assets	Minimum	Maximum	Risk profile	Objective
Equity	50%	90%	Medium to High	Achieve capital appreciation by investing predominantly in equities, with limited investment in Fixed Income Securities.
Debt Securities	10%	50%		
Money market	NIL	40%		

3. **Balanced Plus Fund (SFIN: ULIF01013/09/10BLNCDPLFND136)**

Assets	Minimum	Maximum	Risk profile	Objective
Equity	30%	70%	Medium	Generate capital appreciation and income, through a judicious mix of investments in equities and fixed income securities.
Debt Securities	30%	70%		
Money market	NIL	40%		

4. **Debt Plus Fund (SFIN: ULIF01115/09/10DEBTPLFUND136)**

Assets	Minimum	Maximum	Risk profile	Objective
Debt Securities	60%	100%	Low to Medium	Earn regular income by investing in high quality Debt securities.
Money market	NIL	40%		

5. **Liquid Fund (SFIN: ULIF00514/07/08LIQUIDFUND136)**

Assets	Minimum	Maximum	Risk profile	Objective
Debt Securities*	NIL	60%	Low	Generate reasonable returns commensurate with low risk and a high degree of liquidity.
Money market	40%	100%		

* Debt Securities under Liquid Fund shall only comprise of short term securities

7.2 We shall have the discretion to select the investments and/or make the investments under each Unit Linked Fund, having regard to the investment objectives of the respective Unit Linked Fund subject to our investment norms and policies.

7.3 On the happening of events including but not limited to extreme volatility of markets/Force Majeure conditions, we may close one or more of the Unit Linked Funds with prior approval from IRDA. In the event of closure or discontinuance of any Unit Linked Fund, we shall give you prior notice of at least three months stating our intention to discontinue or close a Unit Linked Fund and provide you with options of switching free of cost to other Unit Linked fund(s) offered by us. In such a case, you shall exercise the option within the time limits provided in the notice, failing which we may switch the Funds to another Unit Linked Fund with prior approval from IRDA with a view to secure timely closure of the fund.

The term "Force Majeure" refers to situations including Acts of State, changes to laws/regulations, Acts of God including natural calamities, quarantine restrictions, external market volatility or other circumstances beyond the control of the parties to contract like war, external aggression, freight embargoes, strikes etc which precludes a party to contract from fulfilling his obligations under the contract.

7.4 The Company may at a later date subject to prior approval of IRDA introduce a new Unit Linked Fund, apart from those mentioned in Clause 7.1. The Policyholder shall be entitled to switch to the said newly introduced Unit Linked Fund as any other Fund mentioned in Clause 7.1 subject to such terms and conditions that may be approved by the Authority.

8 Units

8.1 The Units shall have a nominal value of Rs. 10/- each at the inception of the Unit Linked Fund. The Units shall be purchased and cancelled at the Unit Price applicable on the date of transaction as per these terms and conditions. The Unit Price shall be computed to three decimal points. Units will be allocated up to four decimal points. The Unit Price will be declared as soon as may be possible after close of every Business Day.

8.2 Allocation of Units

- Units against the single premium received by us shall be allocated on the Policy Commencement Date after deduction of applicable Charges.
- In case of registration of death claim or a request for partial withdrawal, switch or surrender received at the Company's Office prior to 3.00 PM on any Business Day, the same would be processed based on the closing NAV of that day. The closing NAV of the next Business Day would be applied in case of all requests received at the Company's Offices after 3.00 PM on any Business Day.
- The above cut-off timings are as per regulations prevailing on the Policy Commencement Date, which can change from time to time with change in regulations.

8.3 Computation of Net Asset Value ("NAV")

Net Asset Value shall be calculated on all Business Days in accordance with the IRDA's guidelines in force from time to time.

9. Valuation of Unit Linked Funds

The calculation made by us in regard to the valuation of its Unit Linked Funds is final and binding for all purposes except in case of manifest error. The valuation of assets of the Unit Linked Funds shall be made as per the applicable Regulations and valuation norms of the Company in effect from time to time.

10. General Conditions

- a. All options, rights and obligations under this policy vest with the Policyholder, and shall be discharged by the Policyholder. If the policy has been issued on the life of a minor, the policy will automatically vest in him/her on attaining age of majority (18 years) and thereafter the Life Assured would be the Policyholder, subject to policy not being assigned. In case the policy is assigned prior to Life Assured attaining age of majority, Auto Vesting feature shall not be invoked until the effected Assignment is revoked.
- b. The Policyholder shall be entitled to make assignment and nomination under this policy as permitted under the Insurance Act, 1938. An assignment of the Policy shall automatically cancel all nominations made.
- c. We reserve the right to review, revise, delete and / or alter any of the terms and conditions of this policy, including without limitation the Benefits, the Charges other than those charges which are specifically stated to remain unchanged in this policy, the method, manner and timing of levy or recovery of the Charges or valuation of the investments and / or assets of the Unit Linked Fund and / or determination of the Unit Price, with the prior approval of IRDA. The terms of this policy shall also stand modified from time to time, to the extent of changes to the Regulations affecting the terms and conditions of this policy.
- d. In issuing this policy, we have relied on the accuracy and completeness of information provided by you and any other declarations or statements made or as may be made in the Proposal form and associated documents. Subject to the provisions of the applicable Regulations, including Section 45 of the Insurance Act, 1938, in the event any such information, declaration or statement is found to be false or incorrect or any material information is found to be with held or misrepresented, we shall be entitled to terminate this policy. We shall in such a case terminate the Policy immediately by paying the Surrender Value and the Company shall cease to be liable for payment of any Benefit under the same.
- e. The Age of the Life Assured has been admitted on the basis of the declaration made in the Proposal and/or in any statement, supporting document/proof provided in this regard. If the Age of the Life Assured is found to be different from that declared, the Company may, adjust the single premium and/or the Benefits under this policy and/or recover the additional amounts, if any, as it deems fit. This policy shall however become void from the policy Commencement Date, if the Age of the Policyholder at the policy Commencement Date is found to be higher than the maximum or lower than the minimum entry Age that was permissible under this policy at the time of its issue and the Fund Value if any, shall be returned to the Policyholder subject to deduction of applicable Charges.
- f. The contact details and procedure to be followed in case of any grievance in respect of this policy is provided in the document titled as "Grievance Redressal" annexed as Annexure 3.
- g. It shall be the solely your responsibility to ensure compliance with all applicable provisions of the Regulations, including taxation laws, and payment of all applicable taxes in respect of the single premium and Benefits or other payouts made or received under this policy.
- h. If the Policyholder or Nominee or anyone acting for any of them or with their knowledge makes any misleading, false or fraudulent claim then we shall be entitled to terminate this policy forthwith and pay only the Surrender Value and the Company shall cease to be liable for payment of any Benefit under the Policy, subject to the fraud or misrepresentation being established by the Company in accordance with Section 45 of the Insurance Act, 1938.
- i. We shall dispatch the policy documents to you at the address for correspondence provided by you in the Proposal form through courier or post (ordinary/registered/speed post). In case the policy documents are returned undelivered, we may attempt to have the same delivered to you through alternative means.
- j. Free look period: The Policyholder has the right to cancel the policy within 15 days from the date of receipt of the policy document, in case he/she does not agree with the terms and conditions of the policy. If the policyholder cancels the policy during free look period, the Company will refund the fund value on the date of cancellation plus the un-allocated premium (if any) plus any charge deducted by cancellation of units, after deducting proportionate risk charges and expenses incurred on medicals (if any) and stamp duty. In cases where the Policy is offered through distance marketing mode as defined under IRDA Guidelines on Distance Marketing of Insurance Products, the freelook provision shall be available for a period of 30 days from the date of receipt of the Policy Document.
- k. We will replace a lost policy document when we are satisfied that it is lost. However we reserve the right to make investigations and to call for evidence of the loss of the policy document, as we may consider necessary before issuing a duplicate policy document. We may also charge a fee for the issue of a duplicate policy. Freelook cancellation will not be allowed for duplicate policy document issued to the Policyholder. However the Company may permit free look cancellation in such cases where after investigation, it is evident that the Customer has not received the original policy bond. In conducting electronic transactions, in respect of this policy, you shall comply with all such terms and conditions as prescribed by us. Such electronic transactions are legally valid and shall be binding on you.
- l. This policy shall be governed by and interpreted in accordance with the laws of India.
- m. Section 45 of the Insurance Act, 1938. No policy of life insurance effected before the commencement of this Act shall, after the expiry of two years from the date of commencement of this Act and no policy of life insurance effected after the coming into force of this Act shall, after the expiry of two years from the date on which it was effected, be called in question by an insurer on the ground that a statement made in the proposal for insurance or in any report of a medical officer, or referee, or friend of the insured, or in any other document leading to the issue of the policy, was inaccurate or false, unless the insurer shows that such statement was on a material matter or suppressed facts which it was material to disclose and that it was fraudulently made by the Policyholder and that the Policyholder knew at the time of making it that the statement was false or that it suppressed facts which it was material to disclose. Provided that nothing in this section shall prevent the insurer from calling for proof of Age at any time if it is entitled to do so, and no policy shall be deemed to be called in question merely because the terms of the policy are adjusted on subsequent proof that the Age of the Life Assured was incorrectly stated in the Proposal.

ANNEXURE 1 Charges

- (i) **Mortality Charges** shall be levied on a monthly basis by way of cancellation of Units. The Mortality Charge shall apply on the sum at risk which shall be computed as follows:

Sum at risk = (Death Benefit as per Clause 2.1 - Fund Value)

The rates of Mortality Charge applicable are shown in Annexure 2. These rates would remain unchanged during the entire policy Term.

- (ii) **Premium Allocation Charge** is a percentage of the Single Premium received and is charged at the time of receipt of the premium. The Premium Allocation Charge shall be 2.20 % (for Policies issued to Staff it is 1.20%) of the Single Premium, subject to maximum of Rs. 9,000/-.

Note: For the purpose of this Policy Document "Staff" includes employees, their spouse, minor children and dependent parent of the Company and its three Shareholder Banks (Canara Bank, HSBC Bank and Oriental Bank of Commerce) and their group/associate companies.

- (iii) **Fund Management Charge** is expressed as a percentage of Fund Value and is levied at the time of computation of the NAV by adjusting the Unit Price. Mentioned below is the current rates of Fund Management Charge for each of the Unit Linked Fund(s), which may be revised by the Company from time to time with the prior approval of IRDA, subject to a maximum of 1.35% per annum for each Unit Linked Fund:

Unit Linked Fund	Fund Management Charge
Equity II Fund	1.35% per annum
Growth Plus Fund	1.35% per annum
Balanced Plus Fund	1.35% per annum
Debt Plus Fund	1.35% per annum
Liquid Fund	0.80% per annum

The Fund Management Charge for Discontinued Policy Fund shall be 0.50% per annum.

- (iv) **Policy Administration Charge** is expressed as a fixed percentage of the single premium and shall be charged at the beginning of each policy month from second policy year to the fifth Policy Year only by cancellation of Units.

The Policy Administration Charge shall be 1.60% per annum of the Single Premium subject to maximum of ₹ 500 per month.

- (v) **Partial Withdrawal Charge** shall be deducted from the Fund Value by cancellation of Units at the time of partial withdrawals. Any partial withdrawal made shall be net of Partial Withdrawal Charge mentioned as here under:

Partial withdrawals can only be made after fifth Policy Year. A charge of Rs. 250 will be deducted from the fifth and subsequent partial withdrawals occurring in the same Policy Year. However, unused partial withdrawals in a policy year cannot be carried forward to subsequent policy years. This charge may be revised by the Company with the prior approval of IRDA, up to a maximum of Rs.500/ per withdrawal.

- (vi) **Switching Charge – There are no switching charges.**

- (vii) **Surrender Charge –** The Surrender Charges shall be as follows:

Policy Year of Surrender	Surrender Charges
1	Lower of 1% * (SP or FV) subject to maximum of Rs. 6,000
2	Lower of 0.5% * (SP or FV) subject to maximum of RS. 5,000
3	Lower of 0.25% * (SP or FV) subject to maximum of Rs.4,000
4	Lower of 0.1% * (SP or FV) subject to maximum of Rs.2,000
5	NIL

Note: SP – Single Premium, FV – Fund Value

Annexure 2

Mortality Charges p.a. per thousand sum at risk

Age I.b.d	Males	Females
07	0.400	0.400
08	0.400	0.400
09	0.400	0.400
10	0.380	0.400
11	0.450	0.400
12	0.530	0.400
13	0.650	0.380
14	0.713	0.450
15	0.770	0.530
16	0.823	0.650
17	0.873	0.713
18	0.919	0.770
19	0.961	0.823
20	0.999	0.873
21	1.033	0.919
22	1.063	0.916
23	1.090	0.999
24	1.113	1.033
25	1.132	1.063
26	1.147	1.090
27	1.159	1.113
28	1.166	1.132
29	1.170	1.147
30	1.170	1.159
31	1.171	1.166
32	1.201	1.170
33	1.246	1.170
34	1.308	1.171
35	1.387	1.201
36	1.482	1.246
37	1.593	1.308
38	1.721	1.387
39	1.865	1.482
40	2.053	1.593
41	2.247	1.721
42	2.418	1.865
43	2.602	2.053

Age I.b.d	Males	Females
44	2.832	2.247
45	3.110	2.418
46	3.438	2.602
47	3.816	2.832
48	4.243	3.110
49	4.719	3.438
50	5.244	3.816
51	5.819	4.243
52	6.443	4.719
53	7.116	5.244
54	7.839	5.819
55	8.611	6.443
56	9.433	7.116
57	10.294	7.839
58	11.025	8.611
59	11.951	9.433
60	13.073	10.294
61	14.931	11.025
62	15.904	11.951
63	17.612	13.073
64	19.516	14.391
65	21.615	15.904
66	22.724	17.612
67	25.617	19.516
68	28.823	21.615
69	32.372	22.724
70	36.294	25.617
71	40.623	28.823
72	45.392	32.372
73	50.639	36.294
74	56.404	40.623
75	62.728	45.392
76	69.655	50.639
77	77.231	56.404
78	85.502	62.728
79	94.519	69.655
80	104.331	77.231

Note: The rates mentioned above are the standard mortality rates offered by the Company in respect of this plan. In case the policy has been issued on revised terms, the mortality charges mentioned in the revised term shall be applicable.

**इस पॉलिसी में पूंजीनिवेश संविभाग में पूंजीनिवेश जोखिम पॉलिसीधारक द्वारा वहन किया जाता है
केनरा एच.एस.बी.सी. ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स लाइफ इंश्योरेंस शुभ लाभ
UIN – 136L025V01
नियम एवं शर्तें**

1. परिचय एवं परिभाषाएं

1.1 यह पॉलिसी दस्तावेज पॉलिसीधारक एवं केनरा एच.एस.बी.सी. ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के बीच एक कानूनी सविदा को प्रमाणित करता है जिसे प्रस्ताव फार्म और बीमाकृत व्यक्ति की बीमा योग्यता को प्रमाणित करने वाले अन्य दस्तावेजों के आधार पर तैयार किया गया है। यह एकल यूनिट लिंक्ड पॉलिसी है जो पॉलिसीधारक को मृत्यु लाभ प्राप्त करने और चुकाए गए एकल प्रीमियम के लिए आवंटित यूनिटों की सीमा तक निधि के पूंजीनिवेश प्रदर्शन में भाग लेने में समर्थ बनाती है। यह पॉलिसी, पॉलिसीधारक को कम्पनी के कारोबार के लाभों या अधिशेष में भागीदारीशेयर करने का अधिकार प्रदान नहीं करती है।

संदर्भ और पठन में सरलता के लिए इन नियम एवं शर्तों को क्रमांकित खंडों में विभाजित किया गया है। ये विभाजन और तदनुसूची खंड के शीर्षक किसी भी रूप में पॉलिसी या इसकी व्याख्या को सीमित नहीं करते हैं। किसी अधिनियम, विनियम, दिशानिर्देश इत्यादि से संबंधित संदर्भ में, इनमें बाद में किए गए बदलाव शामिल होंगे। आयु से संबंधित सभी संदर्भों का अर्थ पिछले जन्मदिन की आयु से होगा। इस दस्तावेज में प्रयुक्त 'आप' और 'आपका' शब्दों का प्रयोग पॉलिसीधारक के लिए किया गया है और पॉलिसीधारक के बीमाकृत व्यक्ति न होने की स्थिति में भुगतान के उद्देश्यों के लिए इसमें नामित /दावाकर्ता शामिल हैं। 'हम' या 'हमारा' शब्दों का इस्तेमाल केनरा एच.एस.बी.सी. ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के लिए किया गया है।

1.2 परिभाषाएं

(क) **कार्य दिवस** का तात्पर्य अवकाश से इतर उन दिनों से है, जिनमें राष्ट्रव्यापी टर्मिनलों वाले शेयर बाजार व्यापार के लिए खुले रहते हैं (उस दिन से इतर दिन, जिसमें शेयर बाजार टेस्टिंग के लिए खुले रहते हैं) या कोई अन्य दिन, जिसे प्राधिकरण द्वारा कार्य दिवस घोषित किया गया हो;

(ख) **बंद पॉलिसी फंड** (ULIF01319/09/11POLDISCFND136) से तात्पर्य कंपनी द्वारा बनाए पृथक्कृत फंड से है, जिसमें ऐसी पॉलिसियाँ, जो लॉक इन पीरियड के दौरान अभ्यर्पित कर दी गई हैं, के अंतर्गत यथा लागू बंद करने के प्रभार काटने के अध्यक्षीन जमा फंड वैल्यू क्रेडिट की जाती है, लॉक इन पीरियड की समाप्ति पर, केवल बीमाकृत व्यक्ति की मृत्यु के मामले को छोड़कर, जिसमें खंड 2.1 (ख) के अनुसार लाभों का तत्काल भुगतान किया जाएगा, संबंधित पॉलिसीधारक को इसका भुगतान किया जाएगा। कंपनी अनुलग्नक-1 में उल्लिखित फंड प्रबंधन प्रभार वसूल करेगी। बंद पॉलिसी फंड में क्रेडिट की गई रकम पर गारंटीशुदा 4.00 प्रतिशत प्रतिवर्ष या विनियामक द्वारा समय-समय पर निर्धारित किसी अन्य ब्याज दर से ब्याज मिलेगा;

(ग) **फंड वैल्यू** का तात्पर्य किसी भी समय पर पॉलिसी के अंतर्गत यूनिटों की कुल संख्या को यूनिट के लागू मूल्य से गुणा करने पर प्राप्त मूल्य से है

(घ) **लॉक-इन पीरियड** का तात्पर्य पॉलिसी शुरू होने की तारीख के बाद से पांच क्रमागत वर्षों की अवधि से है जिसके दौरान इस पॉलिसी के तहत बीमाकृत व्यक्ति की मृत्यु के मामले को छोड़कर, अन्य किसी स्थिति में, किसी लाभ का भुगतान नहीं किया जाएगा;

(ङ) **शुद्ध परिसम्पत्ति मूल्य** (NAV) का तात्पर्य यूनिट लिंक्ड फंड के तहत पूंजीनिवेश के बाजार मूल्य जमा किसी चालू परिसम्पत्ति का मूल्य और फंड प्रबंधन प्रभारों (तत्संबंधी कोई लागू सेवा कर सहित) के निवल की कोई संचित आय घटा किसी चालू देयता या प्रावधान का मूल्य यदि कोई हो, से है;

(छ) **यूनिट मूल्य** का तात्पर्य शुद्ध परिसम्पत्ति मूल्य (NAV) को संबंधित यूनिट लिंक्ड फंड में बकाया यूनिटों की कुल संख्या से भाग देने पर प्राप्त फंड के तहत एक यूनिट के मूल्य से है;

(ज) **पॉलिसी वर्ष** का तात्पर्य पॉलिसी शुरू होने की तारीख से शुरू होकर प्रथम पॉलिसी वर्षगांठ से ठीक पहले वाले दिन पर समाप्त होने वाली 12 कैलेंडर महीनों की अवधि और तत्पश्चात पॉलिसी अवधि के दौरान 12 क्रमागत महीनों की प्रत्येक अनुवर्ती अवधि से है;

(झ) **यूनिट** का तात्पर्य अंतर्निहित पृथक्कृत यूनिट लिंक्ड फंड के अंश या भाग से है;

(ञ) **'जोखिम शुरू होने की तारीख', 'पॉलिसी शुरू होने की तारीख', 'बीमाकृत रकम', 'बीमाकृत व्यक्ति', 'पॉलिसीधारक', 'पॉलिसी अवधि', 'प्रीमियम भुगतान अवधि' 'नामित' और 'नियुक्त व्यक्ति'** शब्दों का तात्पर्य संबंधित तारीखों, रकम या पॉलिसी अनुसूची में उनमें से प्रत्येक के सामने वर्णित नामों से है।

2. केनरा एच.एस.बी.सी. ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स लाइफ इंश्योरेंस शुभ लाभ के तहत मिलने वाले लाभ

2.1 मृत्यु लाभ

(क) यदि बीमाकृत व्यक्ति की मृत्यु पॉलिसी अवधि, जिस दौरान पॉलिसी चालू हालत में है और अभ्यर्पित नहीं की गई है, के दौरान जोखिम शुरू होने की तारीख पर या उसके बाद हो जाती है और इस संबंध में दावा स्वीकार कर लिया जाता है, तो हम मृत्यु लाभ के रूप में निम्नलिखित में से जो अधिक होगा, उसका भुगतान करेंगे:

(i) बीमाकृत रकम घटा आंशिक निकासी, यानी बीमाकृत व्यक्ति की मृत्यु से पहले के दो वर्षों के दौरान, की गई कोई आंशिक निकासी को घटाकर, यदि कोई हो। यदि मृत्यु के समय बीमाकृत व्यक्ति की आयु 60 साल या उससे अधिक है तो बीमाकृत व्यक्ति के 58 साल की आयु पूरी करने के बाद की गई सभी आंशिक निकासियों की कटौती की जाएगी या

(ii) हमारे पास मृत्यु दावे का पंजीकरण करने की तारीख को फंड वैल्यू या

(iii) एकल प्रीमियम का 105%

(ख) पहले पांच पॉलिसी वर्षों के दौरान यदि पॉलिसीधारक की मृत्यु पॉलिसी अभ्यर्पित करने के बाद होती है तो मृत्यु लाभ निम्न का उच्च होगा

(i) बंद पॉलिसी फंड में जमा फंड वैल्यू, या

(ii) अभ्यर्पण से लेकर मृत्यु की तारीख के बीच की अवधि के लिए 4.00% प्रतिवर्ष की दर से न्यूनतम गारंटीशुदा ब्याज सहित अभ्यर्पण मूल्य।

(ग) यदि बीमाकृत व्यक्ति जोखिम शुरू होने की तारीख से एक साल के अंदर पूरे होशो -हवाश या उन्माद में किसी कारणवश आत्महत्या कर लेता है तो पॉलिसी के तहत कोई मृत्यु लाभ देय नहीं होगा और केवल कंपनी में मृत्यु दावे का पंजीकरण करने की तारीख को मौजूद फंड वैल्यू का भुगतान किया जाएगा।

उपरोक्त लाभों का भुगतान करने या लागू कानून के अनुरूप नियम एवं शर्तों के अनुसार, इस पॉलिसी के तहत लाभों का भुगतान नहीं किए जाने के हमारे निर्णय की सूचना देने के बाद पॉलिसी समाप्त हो जाएगी।

2.2 मृत्यु लाभ के दावे के लिए औपचारिकताएं:

बीमाकृत व्यक्ति की मृत्यु हो जाने की स्थिति में इस पॉलिसी के तहत देय लाभों को प्राप्त करने के लिए नामित, मृत्यु की तारीख से 60 दिनों के अंदर दस्तावेजों यथा मूल पॉलिसी दस्तावेज, हमारे द्वारा मूहैया कराया गया दावा फॉर्म (दावाकर्ता का कथन, इलाज करने वाले अस्पताल का प्रमाणपत्र, चिकित्सक का कथन, नियोक्ता का प्रमाणपत्र), मृत्यु प्रमाणपत्र, प्रथम सूचना रिपोर्ट, पोस्ट मार्टम रिपोर्ट (यदि लागू हो), पहचान और पते का प्रमाण, अस्पताल का रिकॉर्ड/अन्य चिकित्सा रिकॉर्ड और आपके दावे का मूल्यांकन करने के लिए हमारे द्वारा मांगे गए अन्य दस्तावेजों सहित दावा सूचना फार्म के जरिए हमें लिखित में बताने का प्रयास करेगा।

2.3 निष्ठा परिवर्धन:

पॉलिसी चालू रहने के अध्यक्षीन, कंपनी पांचवे पॉलिसी वर्ष से हर पॉलिसी माह के अंत में पॉलिसीधारक के यूनिट खाते में निष्ठा परिवर्धन के रूप में अतिरिक्त यूनिटें जमा करेगी। निष्ठा परिवर्धन का निर्धारण प्रत्येक पॉलिसी माह के अंतिम दिन पर मौजूद फंड वैल्यू के प्रतिशत रूप में किया जाएगा और निष्ठा परिवर्धन की दर 0.06% प्रतिमा है। एक बार फंड वैल्यू में निष्ठा परिवर्धन जुड़ने के बाद इनके मिलने की गारंटी हो जाती है। बहरहाल अगर पॉलिसी अभ्यापित कर दी गई है तो इसमें कोई निष्ठा परिवर्धन नहीं जोड़ा जाएगा।

2.4 परिपक्वता लाभ:

यदि बीमाकृत व्यक्ति परिपक्वता की तिथि तक जीवित रहता है और उक्त तिथि पर पॉलिसी चालू रहती है तो कम्पनी दावाकर्ता को परिपक्वता लाभों का भुगतान करेगी जो परिपक्वता की तारीख पर इतिनव (closing NAV) के आधार पर परिकल्पित फंड वैल्यू के बराबर होगी। पॉलिसीधारक के पास खंड 3.6 के अंतर्गत यथा परिभाषित सेटलमेंट विकल्प के अनुसार अवधि, जो पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी, के अंदर निर्धारित पेआउट के जरिए संपूर्ण परिपक्वता लाभ प्राप्त करने का विकल्प है।

3. प्लान की मुख्य विशेषताएं:

3.1 बीमाकृत रकम में वृद्धि/कमी करना:

पॉलिसी चालू रहने के अध्यक्षीन और पॉलिसी के पांच वर्ष पूरे होने के बाद पॉलिसीधारक पॉलिसी अवधि के दौरान किसी भी समय, बीमाकृत रकम में कमी/वृद्धि कराने के लिए हमसे अनुरोध कर सकता है। बीमाकृत रकम में ऐसी कमी/वृद्धि एक पॉलिसी वर्ष में एक बार और पूरी पॉलिसी अवधि में अधिकतम तीन बार की जा सकती है। इसके लिए आपको अगली पॉलिसी वर्षगांठ से कम से कम दो महीने पहले हमें लिखित में आवेदन पत्र देना होगा। ऐसे अनुरोधों पर निम्नलिखित शर्तें लागू होंगी:

- (क) ऐसे अनुरोध के समय बीमाकृत व्यक्ति नाबालिग या 50 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए। अगर वह नाबालिग है या उसकी आयु 50 वर्ष से अधिक है तो अनुरोध के समय बीमाकृत रकम में केवल कमी की जा सकती है।
- (ख) ऐसी वृद्धि/कमी, लागू विनियमों के अनुरूप, हामीदारी स्वीकृति के अध्यक्षीन होगी और परिणामस्वरूप अनुरोध की प्रकृति के आधार पर मृत्यु प्रभारों में कमी या वृद्धि हो सकती है।

3.2 आंशिक निकासियां:

आपको छोटे पॉलिसी वर्ष के बाद से या पॉलिसी धारक के 18 वर्ष के होने पर, जो भी बाद में हो, आंशिक निकासियां करने का अधिकार होगा। एक बार में आप कम से कम रु . 10,000 की आंशिक निकासी कर सकते हैं। आंशिक निकासी के बाद कभी भी फंड वैल्यू, पॉलिसी के अन्तर्गत चुकाए गए वार्षिक प्रीमियम के पच्चीस प्रतिशत (25%) से कम नहीं होनी चाहिए। की गई आंशिक निकासी अनुलग्नक 1 में यथा वर्णित आंशिक निकासी प्रभारों का निवल होगी। यदि पॉलिसी को पूरी तरह से समनुदेशित किया जाता है तो "समनुदेशित" यहां इसमें दिए गए नियमों और शर्तों के अनुसार, आंशिक निकासी करने का पात्र होगा।

3.3 परिवर्तन करना (स्विचिंग):

आप एक यूनिट लिक्विड फंड से दूसरे में (अंशतः या पूर्णतः) परिवर्तन करके उपलब्ध यूनिट पूंजीनिवेश पैटर्न में बदलाव कर सकते हैं। परिवर्तित की जाने वाली न्यूनतम रकम या परिवर्तित किए जाने वाली यूनिटों की वैल्यू रु . 10,000 होनी चाहिए। परिवर्तन हेतु अनुरोध से संबंधित फंड में परिवर्तित किए जाने वाले यूनिटों के प्रतिशत या परिवर्तित किए जाने वाले यूनिटों की वैल्यू को निरूपित करने वाली रकम दर्शाई जानी चाहिए। परिवर्तन के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।

3.4 सुरक्षा परिवर्तन विकल्प:

आप पॉलिसी अवधि के दौरान किसी भी समय लेकिन परिपक्वता तिथि से कम से कम चार (4) पॉलिसी वर्ष पहले कंपनी को लिखित में सूचित करके सुरक्षा परिवर्तन विकल्प का चुनाव कर सकते हैं और कंपनी द्वारा इस पॉलिसी में मौजूद फंड को निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार अंतिम 4 (चार) पॉलिसी वर्षों में लिक्विड फंड में आवंटित किया जाएगा:

.....के शुरू में	लिक्विड फंड से इतर फंड में फंड आवंटन	लिक्विड फंड में आवंटन
चौथा अंतिम पॉलिसी वर्ष	70%	30%
तीसरा अंतिम पॉलिसी वर्ष	40%	60%
दूसरा अंतिम पॉलिसी वर्ष	10%	90%
अंतिम पॉलिसी वर्ष	0%	100%

- (i) स्वतः फंड पुनर्संतुलन और सुरक्षा परिवर्तन विकल्प का प्रयोग एक साथ नहीं किया जा सकेगा। इसलिए सुरक्षा परिवर्तन विकल्प का चुनाव, यदि पहले किया गया हो, तो स्वतः फंड पुनर्संतुलन के चुनाव के बाद यह समाप्त माना जाएगा।
- (ii) सुरक्षा परिवर्तन विकल्प के चालू हालत में होने के बावजूद पॉलिसीधारक सेटलमेंट का विकल्प चुन सकता है।
- (iii) आंशिक निकासी की स्थिति में सुरक्षा परिवर्तन विकल्प का प्रयोग खाते में शेष रकम पर किया जाएगा।
- (iv) सुरक्षा स्विच विकल्प के चालू हालत में रहने की स्थिति में लिक्विड फंड से इतर फंड्स के बीच परिवर्तन की अनुमति है। लिक्विड फंड में स्विच इन और स्विच आउट के कारण सुरक्षा परिवर्तन विकल्प समाप्त हो जाएगा।

3.5 स्वतः फंड पुनर्संतुलन:

- (क) आप इस विकल्प को पॉलिसी की शुरुआत या बाद में किसी भी समय चुन सकते हैं।
- (ख) यदि स्वतः फंड पुनर्संतुलन का चुनाव प्रत्येक पॉलिसी की तिमाही के अंत में किया जाता है तो यह विशेषता लागू आपके द्वारा चुने गए आवंटन के अनुपात में विभिन्न फंडों में पूंजीनिवेशों का स्वतः पुनर्संतुलन कर देगी।
- (ग) पॉलिसीधारक द्वारा स्विच विकल्प का प्रयोग करने की स्थिति में स्वतः फंड पुनर्संतुलन अपने आप समाप्त हो जाएगा। अगर पॉलिसीधारक स्वतः फंड पुनर्संतुलन को जारी रखना चाहता है उसे इसे चुनने के लिए नया आवेदन प्रस्तुत करना होगा।
- (घ) यदि पॉलिसीधारक आंशिक निकासी का विकल्प चुनता है तो स्वतः फंड पुनर्संतुलन का प्रयोग शेष फंड पर किया जाएगा।
- (ङ) स्वतः फंड पुनर्संतुलन एवं सुरक्षा परिवर्तन विकल्पों का प्रयोग एक साथ नहीं किया जा सकता। हालांकि सुरक्षा परिवर्तन विकल्प पॉलिसी के अंतिम 4 वर्षों में चालू रहने की स्थिति में स्वतः फंड पुनर्संतुलन का विकल्प समाप्त हो जाएगा।

3.6 सेटलमेंट विकल्प:

पॉलिसीधारक परिपक्वता तिथि से कम से कम तीन महीने पहले लिखित अनुरोध, जिसमें सेटलमेंट विकल्प का प्रयोग करने के आशय के बारे में बताया गया हो, करके अवधि के दौरान निर्धारित पेआउट के जरिए परिपक्वता लाभ प्राप्त करने के इस विकल्प का प्रयोग कर सकता है। इस विकल्प का प्रयोग निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने के अध्यक्षीन होगी:

- (i) पॉलिसीधारक परिपक्वता तिथि ("सेटलमेंट अवधि") से अधिकतम पांच वर्षों के लिए आवधिक किश्तों में परिपक्वता लाभ प्राप्त करने के इस विकल्प का प्रयोग कर सकता है।
- (ii) सेटलमेंट विकल्प के तहत प्रत्येक पेआउट की तारीख पर लागू NAV पर प्रत्येक पेआउट के संबंध में यूनिटों का नकदीकरण किया जाएगा।
- (iii) सेटलमेंट अवधि के दौरान, मृत्यु लाभ या राइडर लाभ, यदि कोई है, सहित कोई लाभ देय नहीं होगा। सेटलमेंट अवधि के दौरान बीमाकृत व्यक्ति की मृत्यु की स्थिति में मृत्यु की सूचना की तारीख पर शेष फंड वैल्यू का नामित/नियुक्त व्यक्ति/कानूनी वारिस को भुगतान किया जाएगा और उसके बाद से पॉलिसी समाप्त हो जाएगी।
- (iv) कम्पनी द्वारा सेटलमेंट अवधि के दौरान केवल फंड प्रबंधन शुल्क लेना जारी रखा जाएगा।

- (v) पॉलिसीधारक इस बात से पूरी तरह सहमत है और मानता है कि सभी सेटलमेंट विकल्प के तहत पूंजीनिवेश जोखिम और परिपक्वता लाभ प्राप्त करने में निहित जोखिम को पूरी तरह से पॉलिसीधारक के द्वारा वहन किया जाना जारी रहेगा।
- (vi) सेटलमेंट अवधि के दौरान परिवर्तन या आंशिक निकासी की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- (vii) सेटलमेंट अवधि के दौरान, पॉलिसीधारक द्वारा चुने गए विकल्प के अनुसार, पेआउट की आवृत्ति मासिक, तिमाही, छमाही या वार्षिक हो सकती है।
- (viii) पॉलिसीधारक सेटलमेंट अवधि के दौरान, सेटलमेंट विकल्प को रद्द कर सकता है या उक्त तिथि पर मौजूदा फंड वैल्यू वापस ले सकता है और इसके भुगतान के साथ ही पॉलिसी समाप्त हो जाएगी और कंपनी द्वारा कोई और रकम देय नहीं होगी।

4.1 अभ्यर्पण एवं समापन:

पॉलिसीधारक द्वारा पॉलिसी अवधि के दौरान पॉलिसी कभी भी अभ्यर्पित की जा सकती है। अभ्यर्पण पर , पॉलिसी के तहत जीवन बीमा समाप्त हो जाएगा। अभ्यर्पण वैल्यू , अभ्यर्पण की तारीख पर फंड वैल्यू घटा अनुलग्नक-1 में यथा परिभाषित लागू अभ्यर्पण प्रभार के बराबर होगी।

अगर पॉलिसी लॉक इन पीरियड समाप्त होने से पहले अभ्यर्पित कर दी जाती है तो पॉलिसी के तहत अभ्यर्पण वैल्यू बंद पॉलिसी फंड में अंतरित कर दी जाएगी और लॉक इन पीरियड की समाप्ति पर पॉलिसीधारक को इसका भुगतान किया जाएगा और पॉलिसी समाप्त मानी जाएगी। कंपनी बंद पॉलिसी फंड के फंड्स पर 4.00% प्रतिवर्ष की दर न्यूनतम गारंटीशुदा ब्याज का भुगतान करेगी।

अगर पॉलिसी पाँच पॉलिसी वर्ष समाप्त होने के बाद अभ्यर्पित की जाती है तो फंड वैल्यू का तत्काल भुगतान किया जाएगा और पॉलिसी समाप्त मानी जाएगी।

4.2 पॉलिसी का स्वतः समाप्त होना:

तथापि इस पॉलिसी में कोई दूसरा खंड होने पर भी और पाँच पॉलिसी वर्ष पूरे होने पर अगर फंड वैल्यू कभी भी बाजार में खराब प्रदर्शन के कारण किसी पॉलिसी वर्षगांठ पर एकल प्रीमियम के दस प्रतिशत से कम या उसके बराबर हो जाती है तो पॉलिसी स्वतः समाप्त हो जाएगी और ऐसी समाप्ति की तारीख पर मौजूद फंड वैल्यू आपको देय होगी।

5. यूनिट खाता:

इस पॉलिसी के लिए हम एक खाता रखेंगे, जिसे यूनिट खाता कहा जाएगा, जिसमें इस पॉलिसी के तहत एकल प्रीमियम प्राप्त किए जाएंगे और आपके द्वारा चुने गए अनुपात में संबंधित यूनिट लिंकड फंड्स में लागू प्रभारों का निबल जमा किया जाएगा। इस जमा रकम का उपयोग कंपनी के द्वारा इस पॉलिसी के संबंध में प्रस्तुत यूनिट लिंकड फंड में लागू NAV पर यूनिटों को खरीदने के लिए किया जाएगा।

6. प्रभार:

हम इस पॉलिसी अवधि के दौरान , अनुलग्नक 1 में बताए गए अनुसार प्रभार वसूल करेंगे और हमें प्रभारों में बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आई.आर.डी.ए.) की पूर्व अनुमति के अनुसार प्रत्येक प्रभार के सामने दी गई अधिकतम सीमा तक दरों में संशोधन करने का अधिकार होगा। इसमें दिए गए प्रभार सेवा कर सहित लागू करों और वसूलियों (मौजूदा या भावी) के अध्यधीन हो सकते हैं, जिनका वहन आपके द्वारा किया जाएगा।

7. यूनिट लिंकड फंड:

- 7.1 पॉलिसी शुरू होने की तारीख पर हमारे द्वारा प्रस्तुत यूनिट लिंकड फंड और ऐसे यूनिट लिंकड फंड के सूचक संविभाग आवंटन और जोखिम संविभाग निम्नानुसार हैं

1. इन्विटी II फंड: (SFIN: ULIF00607/01/10EQUITYIIFND136)

परिसंपत्तियां	न्यूनतम	अधिकतम	जोखिम पोर्टफोलियो	उद्देश्य
इन्विटी	60%	100%	उच्च	विविध इन्विटीयों में पूंजीनिवेश करके पोर्टफोलियो के सक्रिय प्रबंधन द्वारा दीर्घकाल में पूंजी के मूल्य में वृद्धि करना।
मुद्रा बाजार	शून्य	40%		

2. गोथ प्लस फंड (SFIN: ULIF00913/09/10GROWTPLFND136)

परिसंपत्तियां	न्यूनतम	अधिकतम	जोखिम पोर्टफोलियो	उद्देश्य
इन्विटी	50%	90%	मध्यम से उच्च	सावधि आय वाली प्रतिभूतियों में सीमित पूंजीनिवेश के साथ इन्विटीयों में प्रमुखता से पूंजीनिवेश द्वारा पूंजी के मूल्य में वृद्धि करना।
ऋण प्रतिभूतियां	10%	50%		
मुद्रा बाजार	शून्य	40%		

3. बैलेंस्ड प्लस फंड (SFIN: ULIF01013/09/10BLNCDFLND136)

परिसंपत्तियां	न्यूनतम	अधिकतम	जोखिम पोर्टफोलियो	उद्देश्य
इन्विटी	30%	70%	मध्यम	इन्विटीयों और सावधि आय वाली प्रतिभूतियों में विवेकपूर्ण ढंग से मिश्रित पूंजीनिवेश के जरिए पूंजी के मूल्य और मौजूदा आय में वृद्धि करना।
ऋण प्रतिभूतियां	30%	70%		
मुद्रा बाजार	शून्य	40%		

4. डेट प्लस फंड (SFIN: ULIF01115/09/10DEBTPFLFUND136)

परिसंपत्तियां	न्यूनतम	अधिकतम	जोखिम पोर्टफोलियो	उद्देश्य
ऋण प्रतिभूतियां	60%	100%	निम्न से मध्यम	उच्च क्वालिटी वाली ऋण प्रतिभूतियों में पूंजीनिवेश द्वारा नियमित आय अर्जित करना।
मुद्रा बाजार	शून्य	40%		

5. लिक्विड फंड (SFIN: ULIF00514/07/08LIQUIDFUND136)

परिसंपत्तियां	न्यूनतम	अधिकतम	जोखिम पोर्टफोलियो	उद्देश्य
ऋण प्रतिभूतियां *	शून्य	60%	निम्न	निम्न जोखिम और उच्च स्तरीय तरलता के अनुपात में उचित प्रतिफल प्राप्त करना।
मुद्रा बाजार	40%	100%		

लिक्विड फंड के तहत ऋण प्रतिभूतियों में केवल अल्पावधि वाली प्रतिभूतियां शामिल हैं।

- 7.2 हमें पूंजीनिवेश के अपने मानदंडों और पॉलिसियों के अध्यक्षीय संबंधित यूनिट लिंक्ड फंड के पूंजीनिवेश के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए पूंजीनिवेशों का चयन करने और/या प्रत्येक यूनिट लिंक्ड फंड के अंतर्गत अपने विवेक से पूंजीनिवेश करने का अधिकार है।
- 7.3 बाजार की भारी अनिश्चितताओं/अपरिहार्य घटनाओं, जो इन्हें तक सीमित नहीं हैं, की स्थितियों में हम IRDA की पूर्व अनुमति से एक या अधिक यूनिट लिंक्ड फंड को बंद कर सकते हैं। किसी यूनिट लिंक्ड फंड के समापन या बंद करने की स्थिति में, हम कम से कम तीन महीने पहले एक नोटिस देंगे जिसमें यूनिट लिंक्ड फंड के समापन या बंद करने के आशय की सूचना दी जाएगी और आपको हमारे द्वारा प्रस्तुत यूनिट लिंक्ड फंड में निःशुल्क स्विचिंग का विकल्प मुहैया कराया जाएगा। आपको नोटिस में दी गई समय-सीमा के अंदर विकल्प का उपयोग करना होगा, जिसमें विफल रहने की स्थिति में हम फंड का समय पर समापन करने के लिए IRDA की पूर्व अनुमति से फंड्स को दूसरे यूनिट लिंक्ड फंड में स्विच कर सकते हैं।
- 'अपरिहार्य घटना' शब्द का संबंध ऐसी परिस्थितियों से है जिनमें राज्य के अधिनियम, कानून/विनियमों में बदलाव, प्राकृतिक आपदाओं सहित दैवीय कृत्य या संविदा करने के लिए पक्षों के नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियां जैसे युद्ध, बाहरी आक्रमण, फ्रेट निषेध इत्यादि संविदा के पक्षों को अपने दायित्वों को पूरा करने से रोकते हैं।
- 7.4 कंपनी बाद की तारीख में IRDA की पूर्व अनुमति से खंड 7.1 में उल्लिखित फंड्स के अलावा नए यूनिट लिंक्ड फंड शुरू कर सकती है। पॉलिसीधारक प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित नियमों एवं शर्तों के अध्यक्षीय खंड 7.1 में उल्लिखित फंड के अलावा, इन नए शुरू किए गए यूनिट लिंक्ड फंड में स्विच कर सकता है।
8. **यूनिटें:**
- 8.1 यूनिट लिंक्ड फंड की शुरुआत में यूनिटों का अंकित मूल्य रु. 10 प्रति यूनिट होगा। यूनिटों की खरीद और रद्दीकरण इन नियम एवं शर्तों के अनुसार ट्रांजेक्शन की तारीख को लागू यूनिट के मूल्य पर किया जाएगा। यूनिट के मूल्य की गणना तीन दशमलव प्वाइंट तक की जाएगी। यूनिटों का आवंटन चार दशमलव प्वाइंटों तक किया जाएगा। प्रत्येक बिज़नेस दिवस के बाद जितनी जल्दी संभव हो सकता है उतनी जल्दी यूनिट के मूल्य की घोषणा की जाएगी।
- 8.2 **यूनिटों का आवंटन:**
- (i) हमारे द्वारा प्रथम एकल प्रीमियम के लिए प्राप्त यूनिटें, लागू प्रभारों को काटने के बाद पॉलिसी शुरू करने की तारीख पर आवंटित की जाएगी।
- (ii) यदि मृत्यु के दावे के पंजीकरण या आंशिक निकालियों, अभ्यर्पणों, स्विचों के अनुरोध कंपनी के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में अपराह्न 3.00 बजे से पहले प्राप्त होते हैं तो उन पर उस दिन के इतिनव (Closing NAV) के आधार पर कार्यवाही की जाएगी। यदि सभी अनुरोध कंपनी के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस पर अपराह्न 3.00 बजे के बाद प्राप्त होते हैं तो अगले दिन का इतिनव (Closing NAV) लागू होगा।
- (iii) उपरोक्त समय सीमा पॉलिसी शुरू होने की तारीख पर प्रचलित विनियमों के अनुसार हैं, जिसमें विनियमों में समय-समय पर होने वाले बदलाव के कारण परिवर्तन हो सकता है।
- 8.3 **शुद्ध परिसम्पत्ति मूल्य ("NAV") की गणना:**
शुद्ध परिसम्पत्ति मूल्य की गणना IRDA के समय-समय पर लागू दिशानिर्देशों के अनुसार सभी कार्य दिवसों पर की जाएगी।
9. **यूनिट लिंक्ड फंड का मूल्यांकन:**
यूनिट लिंक्ड फंड के मूल्यांकन के संबंध में कंपनी द्वारा की गई गणना अंतिम है और यह स्पष्ट गलती को छोड़कर सभी उद्देश्यों के लिए बाध्यकारी रहेगी। यूनिट लिंक्ड फंड की परिसम्पत्तियों का मूल्यांकन, लागू विनियमों और समय-समय पर लागू कंपनी के मूल्यांकन मानदंडों के अनुसार किया जाएगा।
10. **सामान्य शर्तें:**
1. इस पॉलिसी के तहत सभी विकल्प, अधिकार और दायित्व पॉलिसीधारक में निहित हैं और पॉलिसीधारक द्वारा इनका निरसन किया जाएगा। यदि पॉलिसी नाबालिग के लिए जारी की गई है तो उसके बालिग (18 साल) होने पर पॉलिसी स्वतः उसमें विहित हो जाएगी, तत्पश्चात बीमाकृत व्यक्ति पॉलिसीधारक होगा, बशर्ते कि पॉलिसी समनुदेशित न की गई हो। यदि बीमाकृत व्यक्ति के 18 साल का होने से पहले पॉलिसी समनुदेशित कर दी जाती है, तो प्रभावी समनुदेशन रद्द करने तक स्वतः विहित होने की विशेषता का उपयोग नहीं किया जा सकेगा।
2. पॉलिसीधारक बीमा अधिनियम, 1938 के तहत दी गई अनुमति के अनुसार अपनी पॉलिसी का समनुदेशन एवं नामांकन करने के लिए पूर्ण रूप से अधिकृत होगा। पॉलिसी के समनुदेशन के पश्चात सभी नामांकन स्वतः समाप्त हो जाएंगे।
3. हमें लाभों में कमी किए बिना, ऐसे प्रभारों, जिनके बारे में पॉलिसी में अपरिवर्तित रहने के बारे में विशेष रूप से उल्लेख किया गया है, को छोड़कर दूसरे प्रभारों सहित इस पॉलिसी के नियम एवं शर्तों, प्रभारों की उगाही या रिकवरी की विधि, तौर-तरीकों और समय, या यूनिट लिंक्ड फंड के पूंजीनिवेशों और/या परिसंपत्तियों के मूल्यांकन और/या IRDA की पूर्व अनुमति से यूनिट के मूल्य के निर्धारण की समीक्षा करने, संशोधन करने, विलोपन करने, परिवर्तन करने का अधिकार है। इस पॉलिसी की नियम एवं शर्तों को प्रभावित करने वाले विनियमों में किए गए बदलावों के अनुसार, समय-समय पर इस पॉलिसी की शर्तों में संशोधन किए जाएंगे।
4. इस पॉलिसी को जारी करने में, हमने आपके द्वारा मुहैया कराई गई सूचना और प्रस्ताव फार्म और संबंधित दस्तावेजों में की गई कोई अन्य घोषणा या कथन की सत्यता और संपूर्णता पर भरोसा किया गया है। बीमा अधिनियम 1938 की धारा 45 सहित लागू विनियमों के प्रावधानों के अध्यक्षीय यदि कोई सूचना, घोषणा या कथन असत्य या गलत पाया जाता है या कोई महत्वपूर्ण सूचना छिपाई या गलत तरीके से दी जाती है तो हमें इस पॉलिसी को समाप्त करने का हक होगा। ऐसे मामले में हम अभ्यर्पण वैल्यू चुकाने के बाद पॉलिसी को तुरंत समाप्त कर देंगे और कंपनी इसके लिए किसी लाभ के भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगी।
5. बीमाकृत व्यक्ति की आयु प्रस्ताव फार्म और/या किसी कथन में की गई घोषणा या सपोर्टिंग दस्तावेज/इस संबंध में दिए गए प्रमाण के आधार पर स्वीकार की गई है। यदि बीमाकृत व्यक्ति की आयु और घोषित आयु में कोई अंतर पाया जाता है तो कंपनी इस पॉलिसी के तहत एकल प्रीमियम और/या लाभ का समायोजन कर सकती है और/या अतिरिक्त राशि, यदि कोई है, वसूल कर सकती है, जो भी उचित हो। बहरहाल, यदि पॉलिसी शुरू होने की तारीख पर पॉलिसीधारक की आयु अधिकतम से अधिक या प्रवेश की न्यूनतम आयु, जो जारी करते समय इस पॉलिसी के तहत अनुमेय थी, से कम पाई जाती है, यह पॉलिसी, पॉलिसी शुरू होने की तारीख से निरस्त हो जाएगी और लागू प्रभारों को काटने के बाद पॉलिसीधारक को फंड वैल्यू यदि कोई है, वापस कर दी जाएगी।
6. संपर्क विवरण और पॉलिसी के संबंध में किसी शिकायत के मामले में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया यहां अनुलग्नक 3 के रूप में संलग्न 'शिकायत निवारण' शीर्षक वाले दस्तावेज में मुहैया कराई गई है।
7. कराधान नियमों सहित विनियमों के सभी लागू प्रावधानों का अनुपालन करना और इस पॉलिसी के तहत एकल प्रीमियम और लाभ या पॉलिसीधारक / दावाकर्ता द्वारा किए गए या प्राप्त किए अन्य पेआउट के संबंध में लागू सभी करों का भुगतान करने की पूरी जिम्मेदारी आपकी होगी।
8. यदि पॉलिसीधारक या नामित व्यक्ति या उनमें से किसी एक के लिए काम कर रहा कोई अन्य व्यक्ति उनके संज्ञान में कोई भ्रामक, झूठा या कपटपूर्ण दावा करता है तो हमें पॉलिसी को फोरन समाप्त करने का अधिकार होगा। केवल अभ्यर्पण वैल्यू का भुगतान किया जाएगा और कंपनी द्वारा बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 45 के अनुसरण में गलतबयानी या धोखाधड़ी साबित किए जाने पर कंपनी इस पॉलिसी के तहत किसी लाभ के भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगी।
9. हम पॉलिसी दस्तावेजों को कुरियर या डाक (साधारण/पंजीकृत/स्पीड पोस्ट) के द्वारा पॉलिसीधारक के द्वारा प्रस्ताव फार्म में दिए गए पत्राचार के पते पर भेजेंगे। अगर पॉलिसी दस्तावेज हमारे पास वापस आ जाते हैं तो हम इन्हें आपको किसी दूसरे माध्यम, द्वारा भेजने का प्रयास करेंगे।
10. पुनर्विचार अवधि (फ्री लुक पीरियड): अगर बीमाधारक पॉलिसी के नियम एवं शर्तों से सहमत नहीं है तो उसे बीमा दस्तावेज प्राप्त होने के बाद से 15 दिन की अवधि के अन्दर पॉलिसी को रद्द करने का अधिकार है। यदि बीमाधारक पुनर्विचार अवधि के दौरान बीमा को रद्द करवाता है तो कंपनी रद्द करवाने की तिथि पर फंड वैल्यू जमा गैर-आवंटित प्रीमियम (यदि कोई है) जमा यूनिटों को रद्द करवाने पर काटे गए किसी प्रभार को, समानुपातिक जोखिम प्रभारों और मेडिकल एवं स्टैम्प ड्यूटी पर हुए व्यय (यदि कोई है) को

काटने के बाद वापस करेगी। ऐसे मामले जिनमें बीमा उत्पादों पर दूरस्थ विपणन के संबंध में IRDA के दिशानिर्देशों के तहत यथा परिभाषित दूरस्थ विपणन मोड के जरिए पॉलिसी ऑफर की गई है, उनमें पुनर्विचार का विकल्प पॉलिसी दस्तावेज प्राप्त करने से 30 दिनों की अवधि के लिए उपलब्ध रहेगा।

11. जब हम इस बात की संतुष्टि कर लेते हैं कि पॉलिसी दस्तावेज गुम हो गए हैं, तो ही हम इनके स्थान पर डुप्लीकेट पॉलिसी दस्तावेज जारी करेंगे। बहरहाल, डुप्लीकेट पॉलिसी दस्तावेज जारी करने से पहले हमें जांच करने या पॉलिसी दस्तावेज गुम हो जाने का प्रमाण मांगने, जैसा भी उचित हो, का अधिकार है। हम डुप्लीकेट पॉलिसी दस्तावेज जारी करने के बदले में शुल्क भी ले सकते हैं। पॉलिसीधारक को जारी किए गए डुप्लीकेट पॉलिसी दस्तावेजों के मामले में पुनर्विचार, रद्दीकरण की अनुमति नहीं होगी। बहरहाल, कंपनी ऐसे मामलों में पुनर्विचार रद्दीकरण की अनुमति दे सकती है जिनमें यह साबित हुआ है कि ग्राहक को मूल पॉलिसी बांड प्राप्त नहीं हुए हैं। इस पॉलिसी के संबंध में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन करते समय आपको हमारे द्वारा यथा निर्धारित ऐसी सभी नियम एवं शर्तों का पालन करना होगा। ऐसे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन कानूनी रूप से वैध हैं और आपके लिए बाध्यकारी होंगे।
12. यह पॉलिसी भारत के कानून के अनुरूप व्याख्यित और शासित होगी।
13. बीमा अधिनियम 1938 की धारा 45 उस तिथि, जिस दिन से बीमा चालू हुआ है, से दो वर्ष पूरे होने पर, जीवन बीमा के किसी भी बीमा पर बीमाकर्ता के द्वारा इस आधार पर कि प्रस्ताव में दिया गया विवरण, या चिकित्सा अधिकारी की रिपोर्ट या मध्यस्थ या बीमाधारक के मित्र अथवा बीमा के निर्गम के कारण किसी अन्य दस्तावेज में दिया गया विवरण गलत या मिथ्या, पर तब तक प्रश्न नहीं उठाया जा सकता जब कि कि बीमाकर्ता यह प्रकट नहीं करता कि यह विवरण महत्वपूर्ण विषय या छिपाए गए तथ्यों पर आधारित थे, जिन्हें प्रकट करना आवश्यक था और जिन्हें बीमाधारक द्वारा कपटपूर्वक प्रकट किया गया था और जिनके बारे में बीमाधारक बीमा करते समय जानता था कि विवरण मिथ्या थे या छिपाए गए थे, जिन्हें प्रकट करना जरूरी था। परन्तु इस धारा की कोई भी बात बीमाकर्ता को किसी भी समय आयु का प्रमाण मांगने से नहीं रोकती, बशर्ते कि उसे ऐसा करने का अधिकार हो, और किसी भी पॉलिसी पर केवल इस तथ्य के आधार पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता कि बाद के प्रमाण से पॉलिसी की शर्तों को समायोजित कर लिया गया है और कि बीमाकृत व्यक्ति की आयु प्रस्ताव में गलत बताई गई थी।

अनुलग्नक 1 प्रभार

- (i) **मृत्यु प्रभार:** यूनिटों के निरसन द्वारा मासिक आधार पर वसूले जाएंगे। मृत्यु प्रभार जोखिमग्रस्त रकम पर लागू होगा जिसकी गणना निम्नानुसार की जाएगी:
जोखिमग्रस्त रकम = (खंड 2.1 के अनुसार मृत्यु लाभ - फंड वैल्यू)
लागू होने वाले मृत्यु प्रभार अनुलग्नक 2 में दर्शाए गए हैं। ये दरें पूरी पॉलिसी अवधि के दौरान अपरिवर्तित रहेगी।
- (ii) **प्रीमियम आवंटन प्रभार** प्राप्त एकल प्रीमियम का प्रतिशत होता है और इसे प्रीमियम प्राप्त के समय प्रभारित किया जाता है। प्रीमियम आवंटन प्रभार अधिकतम रु . 9000 के अध्यक्षीन एकल प्रीमियम का 2.20% होगा (कर्मचारियों को जारी की गई पॉलिसियों के लिए यह 1.20% होगा)।
टिप्पणी: इस पॉलिसी दस्तावेज के प्रयोजन के लिए "कर्मचारियों" में कंपनी और इसके तीन शेयरधारक बैंकों (केनरा, बैंक, एच.एस.बी.सी. बैंक और ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स) और उनके समूह/सम्बद्ध कंपनियों के कर्मचारी उनकी पत्नी/पति, नाबालिग बच्चे और आश्रित माता-पिता शामिल होंगे।
- (iii) **फंड प्रबंधन प्रभार** को वास्तविक फंड वैल्यू के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है और इन्हें NAV की गणना के समय यूनिट के मूल्य में समायोजन द्वारा वसूल किया जाता है। नीचे दी गई दरें यूनिट लिंकड फंड के लिए फंड प्रबंधन प्रभारों की वर्तमान दरें हैं, जिनमें कंपनी द्वारा प्रत्येक यूनिट फंड के लिए अधिकतम 1.35% प्रतिवर्ष के अध्यक्षीन, IRDA की पूर्वानुमति से समय-समय पर संशोधन किया जा सकता है:

यूनिट लिंकड फंड	फंड प्रबंधन प्रभार
इक्विटी II फंड	1.35% प्रतिवर्ष
गोथ प्लस फंड	1.35% प्रतिवर्ष
बैलेंस्ड प्लस फंड	1.35% प्रतिवर्ष
डेट प्लस फंड	1.35% प्रतिवर्ष
लिंक्ड फंड	0.80% प्रतिवर्ष

बंद पॉलिसी फंड के लिए फंड प्रबंधन प्रभार की दर 0.50% प्रतिवर्ष होगी।

- (iv) **पॉलिसी संचालन प्रभार** को एकल प्रीमियम के नियत प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है और इसे केवल यूनिटों के निरसन द्वारा दूसरे पॉलिसी वर्ष से लेकर पांचवे पॉलिसी वर्ष तक प्रत्येक माह के शुरू में वसूला जाएगा। मौजूदा पॉलिसी संचालन प्रभार अधिकतम रु. 500 प्रतिमाह के अध्यक्षीन एकल प्रीमियम का 1.60% प्रतिवर्ष होगा।
- (v) **आंशिक निकासी प्रभार**, आंशिक निकासी के समय यूनिटों के निरसन द्वारा फंड वैल्यू में से काट लिया जाएगा। की गई कोई भी आंशिक निकासी यहां नीचे दिए गए आंशिक निकासी प्रभार का निवल होगी:
आंशिक निकासी पांचवे पॉलिसी वर्ष के बाद ही की जा सकेगी। एक ही पॉलिसी वर्ष में पांचवी और अनुवर्ती आंशिक निकासी पर रु . 250 प्रति निकासी का प्रभार लिया जाएगा। बहरहाल, पॉलिसी वर्ष के दौरान प्रयोग नहीं की गई आंशिक निकासियां अनुवर्ती पॉलिसी वर्ष में नहीं ले जाई जा सकती। कंपनी द्वारा IRDA की पूर्व अनुमति से इस प्रभार में संशोधन करके इसे अधिकतम रु. 500 प्रति निकासी तक किया जा सकता है।
- (vi) **स्विचिंग प्रभार-** इस पॉलिसी में कोई भी स्विचिंग प्रभार नहीं है।
- (vii) **अभ्यर्पण प्रभार-** इस पॉलिसी में अभ्यर्पण प्रभार निम्नानुसार होगा।

अभ्यर्पण का पॉलिसी वर्ष	अभ्यर्पण प्रभार
1	अधिकतम रु. 6000 के अध्यक्षीन 1% का निम्न * (SP या FV)
2	अधिकतम रु. 5000 के अध्यक्षीन 0.5% का निम्न * (SP या FV)
3	अधिकतम रु. 4000 के अध्यक्षीन 0.25% का निम्न * (SP या FV)
4	अधिकतम रु. 2000 के अध्यक्षीन 0.1% का निम्न * (SP या FV)
5	शून्य

टिप्पणी: SP -एकल प्रीमियम, FV -फंड वैल्यू

अनुलग्नक 2
जोखिम पर मृत्यु प्रभार प्रतिवर्ष प्रति 1000

आयु (l.b.d)	पुरुष	महिला
07	0.400	0.400
08	0.400	0.400
09	0.400	0.400
10	0.380	0.400
11	0.450	0.400
12	0.530	0.400
13	0.650	0.380
14	0.713	0.450
15	0.770	0.530
16	0.823	0.650
17	0.873	0.713
18	0.919	0.770
19	0.961	0.823
20	0.999	0.873
21	1.033	0.919
22	1.063	0.916
23	1.090	0.999
24	1.113	1.033
25	1.132	1.063
26	1.147	1.090
27	1.159	1.113
28	1.166	1.132
29	1.170	1.147
30	1.170	1.159
31	1.171	1.166
32	1.201	1.170
33	1.246	1.170
34	1.308	1.171
35	1.387	1.201
36	1.482	1.246
37	1.593	1.308
38	1.721	1.387
39	1.865	1.482
40	2.053	1.593
41	2.247	1.721
42	2.418	1.865
43	2.602	2.053

आयु (l.b.d)	पुरुष	महिला
44	2.832	2.247
45	3.110	2.418
46	3.438	2.602
47	3.816	2.832
48	4.243	3.110
49	4.719	3.438
50	5.244	3.816
51	5.819	4.243
52	6.443	4.719
53	7.116	5.244
54	7.839	5.819
55	8.611	6.443
56	9.433	7.116
57	10.294	7.839
58	11.025	8.611
59	11.951	9.433
60	13.073	10.294
61	14.931	11.025
62	15.904	11.951
63	17.612	13.073
64	19.516	14.391
65	21.615	15.904
66	22.724	17.612
67	25.617	19.516
68	28.823	21.615
69	32.372	22.724
70	36.294	25.617
71	40.623	28.823
72	45.392	32.372
73	50.639	36.294
74	56.404	40.623
75	62.728	45.392
76	69.655	50.639
77	77.231	56.404
78	85.502	62.728
79	94.519	69.655
80	104.331	77.231

टिप्पणी: ऊपर वर्णित दरें इस प्लान के संबंध में कंपनी द्वारा प्रस्तावित मानक मृत्यु दरें हैं। यदि कंपनी द्वारा पॉलिसीधारक को यह पॉलिसी संशोधित शर्तों पर जारी की गई है तो ऐसी संशोधित शर्तों में उल्लिखित मृत्यु प्रभार लागू होंगे।

GRIEVANCE REDRESSAL PROCEDURE

We, at Canara HSBC Oriental Bank of Commerce Life strive to ensure that our customers get only the very best of service from us. We understand the customer's grievance and try to resolve the same by ascertaining all the facts and documents available to provide a fair resolution on the complaint.

1. In case you wish to register a complaint with us, you may visit our website, approach our Resolution Centre, Grievance Officers at Hub locations, or you may write to us at the following address:

Complaint Redressal Unit

Canara HSBC Oriental Bank of Commerce Life Insurance Co. Ltd.
Unitech Trade Centre, 2nd Floor, Sushant Lok, Phase-1, Sector-43, Gurgaon-122009, Haryana, India
Toll Free: 1800-103-0003 / 1800-180-0003 (BSNL/MTNL)
Email: cru@canarahsbclife.in

We shall respond to you within two weeks from the date of our receiving your complaint. Kindly note that in case we do not receive revert from you within eight weeks from the date of your receipt of our response we will treat your complaint as closed.

2. In case you do not receive a satisfactory response from us within the above timelines, you may write to our Complaint Redressal Officer at:

The Complaint Redressal Officer

Canara HSBC Oriental Bank of Commerce Life Insurance Co. Ltd.
Unitech Trade Centre, 2nd Floor, Sushant Lok, Phase-1, Sector-43, Gurgaon-122009, Haryana, India
Toll Free: 1800-103-0003 / 1800-180-0003 (BSNL/MTNL)
Email: cro@canarahsbclife.in

3. In case you are not satisfied with the decision/resolution of the Company, you may approach the Insurance Ombudsman for your State or an appropriate judicial/quasi-judicial authority having jurisdiction over the matter for redressal of your grievance.

शिकायत निवारण प्रक्रिया

केनरा एचएसबीसी ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स लाइफ में हम यह सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं कि हमारे ग्राहकों को हमारी ओर से केवल सबसे अच्छी सेवा प्राप्त हो। हम ग्राहकों की शिकायतों को समझते हैं और शिकायत का निष्पक्ष समाधान प्रदान करने के लिए उपलब्ध सभी तथ्यों और दस्तावेजों की जाँच करके इनका समाधान करने का प्रयास करते हैं।

1. अगर आप हमारे पास कोई शिकायत दर्ज करवाना चाहते हैं, तो आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, हमारे समाधान केंद्र, हब कार्यालयों पर मौजूद शिकायत अधिकारियों तक पहुँच सकते हैं, या आप निम्न पते पर हमें लिख सकते हैं:

शिकायत निवारण इकाई

केनरा एचएसबीसी ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.
यूनिटेक ट्रेड सेंटर, दूसरी मंज़िल, सुशांत लोक, फेस-1, सेक्टर-43, गुडगाँव-122009, हरियाणा, भारत
टॉल फ्री: 1800-103-0003 / 1800-180-0003 (बीएसएनएल/एमटीएनएल)
ईमेल: cru@canarahsbclife.in

आपकी शिकायत हमारे पास पहुँचने की तिथि से दो सप्ताह के अंदर हम आपको उत्तर देंगे। कृपया ध्यान दें कि आपको हमारा उत्तर प्राप्त होने की तिथि के बाद अगर हमें आठ सप्ताह तक आपकी ओर से कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं होती है, तो हम समझेंगे कि आपकी शिकायत का समाधान हो चुका है।

2. अगर आपको उपरोक्त समय-सीमाओं के अंदर हमारी ओर से कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिलता है, तो आप निम्न पते पर हमारे शिकायत निवारण अधिकारी को लिख सकते हैं:

शिकायत निवारण अधिकारी

केनरा एचएसबीसी ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.
यूनिटेक ट्रेड सेंटर, दूसरी मंज़िल, सुशांत लोक, फेस-1, सेक्टर-43, गुडगाँव-122009, हरियाणा, भारत
टॉल फ्री: 1800-103-0003 / 1800-180-0003 (बीएसएनएल/एमटीएनएल)
ईमेल: cro@canarahsbclife.in

3. अगर आप कंपनी के निर्णय/समाधान से संतुष्ट नहीं होते हैं, तो आप अपनी शिकायत के निवारण के लिए अपने राज्य के बीमा लोकपाल या इस मामले पर न्यायाधिकार रखने वाले उपयुक्त न्यायिक/अर्द्धन्यायिक प्राधिकरण के पास पहुँच सकते हैं।

List of Insurance Ombudsmen / बीमा लोकपालों की सूची

Office of the Ombudsman लोकपाल का कार्यालय	Name of the Ombudsman लोकपाल का नाम	Contact Details संपर्क का विवरण	Areas of Jurisdiction अधिकार क्षेत्र	
AHMEDABAD अहमदाबाद	Shri P. Ramamoorthy श्री पी. रामामूर्ति	Insurance Ombudsman, Office of the Insurance Ombudsman, 2nd Floor, Ambica House, Nr. C.U. Shah College, Ashram Road, AHMEDABAD-380 014. Tel.: 079-27546840 Fax : 079-27546142 Email: ins.omb@rediffmail.com	बीमा लोकपाल, बीमा लोकपाल कार्यालय, दूसरी मंज़िल, अंबिका हाउस, सी.यू. शाह कॉलेज के पास, आश्रम रोड़, अहमदाबाद-380 014. फोन: 079-27546840 फैक्स: 079-27546142 ईमेल: ins.omb@rediffmail.com	Gujarat, UT of Dadra & Nagar Haveli, Daman and Diu गुजरात, केंद्र शासित प्रदेश दादर और नागर हवेली, दमन और दवीव
BHOPAL भोपाल		Insurance Ombudsman, Office of the Insurance Ombudsman, Janak Vihar Complex, 2 nd Floor, 6, Malviya Nagar, Opp. Airtel, Near New Market, BHOPAL(M.P.)-462 023. Tel.: 0755-2569201 Fax : 0755-2769203 Email: bimalokpalbhopal@airtelmail.in	बीमा लोकपाल, बीमा लोकपाल कार्यालय, जनक विहार कौमप्लेक्स, दूसरी मंज़िल, 6, मालविया नगर, एयरटेल के सामने, न्यू मार्केट के पास, भोपाल (एम.पी.)-462 023. फोन: 0755-2569201 फैक्स: 0755-2769203 ईमेल: bimalokpalbhopal@airtelmail.in	Madhya Pradesh & Chhattisgarh मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़
BHUBANESHWAR भुवनेश्वर	Shri B. P. Parija श्री बी.पी. पारीजा	Insurance Ombudsman, Office of the Insurance Ombudsman, 62, Forest Park, BHUBANESHWAR-751 009. Tel.: 0674-2596455 Fax : 0674-2596429 Email: ioobbsr@dataone.in	बीमा लोकपाल, बीमा लोकपाल कार्यालय, 62, फोरेस्ट पार्क, भुवनेश्वर-751 009. फोन: 0674-2596455 फैक्स: 0674-2596429 ईमेल: ioobbsr@dataone.in	Odisha उड़ीशा
CHANDIGARH चंडीगढ़		Insurance Ombudsman, Office of the Insurance Ombudsman, S.C.O. No.101-103, 2nd Floor, Batra Building, Sector 17-D, CHANDIGARH-160 017. Tel.: 0172-2706468 Fax : 0172-2708274 Email: ombchd@yahoo.co.in	बीमा लोकपाल, बीमा लोकपाल कार्यालय, एस.सी.ओ. नं. 101-103, दूसरी मंज़िल, बतरा बिल्डिंग, सेक्टर 17-डी, चंडीगढ़-160 017. फोन: 0172-2706468 फैक्स: 0172-2708274 ईमेल: ombchd@yahoo.co.in	Punjab, Haryana, Himachal Pradesh, Jammu & Kashmir, UT of Chandigarh पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़
CHENNAI चेन्नई	Shri V. Ramasaamy श्री वी. रामासामी	Insurance Ombudsman, Office of the Insurance Ombudsman, Fathima Akhtar Court, 4th Floor, 453 (old 312), Anna Salai, Teynampet, CHENNAI-600 018. Tel.: 044-24333668/5284 Fax : 044-24333664 Email: chennaiinsuranceombudsman@gmail.com	बीमा लोकपाल, बीमा लोकपाल कार्यालय, फातिमा अख्तर कोर्ट, चौथी मंज़िल, 453, (पुराना 312), अन्ना सालाई, तेनमपेट, चेन्नई-600 018. फोन: 044-24333668/5284 फैक्स: 044-24333664 ईमेल: chennaiinsuranceombudsman@gmail.com	Tamil Nadu, UT-Pondicherry Town and Karaikal (which are part of UT of Pondicherry) तमिलनाडू, केन्द्र शासित प्रदेश पांडिचेरी टाउन और कराईकल (जो केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी के भाग है)
NEW DELHI नई दिल्ली	Shri Surendra Pal Singh श्री सुरेन्द्र पाल सिंह	Insurance Ombudsman, Office of the Insurance Ombudsman, 2/2 A, Universal Insurance Bldg., Asaf Ali Road, NEW DELHI-110 002. Tel.: 011-23239633 Fax : 011-23230858 Email: iobdelraj@rediffmail.com	बीमा लोकपाल, बीमा लोकपाल कार्यालय, 2/2 ए, यूनिवर्सल इन्श्योरेंस बिल्डिंग, आसफ अली रोड़, नई दिल्ली-110 002. फोन: 011-23239633 फैक्स: 011-23230858 ईमेल: iobdelraj@rediffmail.com	Delhi & Rajasthan दिल्ली और राजस्थान

List of Insurance Ombudsmen / बीमा लोकपालों की सूची

Office of the Ombudsman लोकपाल का कार्यालय	Name of the Ombudsman लोकपाल का नाम	Contact Details संपर्क का विवरण	Areas of Jurisdiction अधिकार क्षेत्र	
GUWAHATI गुवाहाटी	Shri D. C. Choudhury श्री डी.सी. चौधरी	Insurance Ombudsman, Office of the Insurance Ombudsman, "Jeevan Nivesh", 5 th Floor, Near Panbazar Overbridge, S.S. Road, GUWAHATI-781 001 (ASSAM). Tel.: 0361-2132204/5 Fax: 0361-2732937 Email: ombudsmanghy@rediffmail.com	बीमा लोकपाल, बीमा लोकपाल कार्यालय, जीवन निवेश, पांचवी मंजिल, पानबाज़ार ओवरब्रिज के पास, एस.एस. रोड़, गुवाहाटी-781 001 (असम). फोन: 0361-2132204/5 फैक्स: 0361-2732937 ईमेल: ombudsmanghy@rediffmail.com	Assam, Meghalaya, Manipur, Mizoram, Arunachal Pradesh, Nagaland and Tripura असम, मेघालया, मणिपुर, मिज़ोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और त्रिपुरा
HYDERABAD हैदराबाद	Shri K. Chandrasah श्री के. चंदरहास	Insurance Ombudsman, Office of the Insurance Ombudsman, 6-2-46, 1 st Floor, Main Court, A.C. Guards, Lakdi-Ka-Pool, HYDERABAD-500 004. Tel: 040-65504123 Fax: 040-23376599 Email: insombudhyd@gmail.com	बीमा लोकपाल, बीमा लोकपाल कार्यालय, 6-2-46, पहली मंजिल, मेन कोर्ट, ए.सी. गार्ड्स, लकड़ी का पुल, हैदराबाद-500 004. फोन: 040-65504123 फैक्स: 040-23376599 ईमेल: insombudhyd@gmail.com	Andhra Pradesh, Karnataka and UT of Yanam – a part of the UT of Pondicherry आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और यनम – केंद्रशासित प्रदेश – पांडिचेरी का एक भाग
KOCHI कोचि	Shri R. Jyothindranathan श्री आर. ज्योतिंद्रानाथन	Insurance Ombudsman, Office of the Insurance Ombudsman, 2nd Floor, CC 27/2603, Pulinat Bldg., Opp. Cochin Shipyards, M.G. Road, ERNAKULAM-682 015. Tel: 0484-2358759 Fax: 0484-2359336 Email: iokochi@asianetindia.com	बीमा लोकपाल, बीमा लोकपाल कार्यालय, दूसरी मंजिल, सीसी 27/2603, पुल्लिनॉट बिल्डिंग, कोचिन शिपयार्ड के सामने, एमजी रोड़, इर्णाकुलम-682015. फोन: 0484-2358759 फैक्स: 0484-2359336 ईमेल: iokochi@asianetindia.com	Kerala , UT of (a) Lakshadweep , (b) Mahe – a part of UT of Pondicherry केरल, केंद्र शासित प्रदेश – (क) लक्षद्वीप (ख) माहे- पांडिचेरी का एक भाग
KOLKATA कोलकाता	Ms. Manika Datta श्रीमती मनिका दत्ता	Insurance Ombudsman, Office of the Insurance Ombudsman, 4th Floor, Hindusthan Bldg. Annexe, 4, C.R. Avenue, Kolkatta – 700 072. Tel: 033 22124346/(40) Fax: 033 22124341 Email: iombsbpa@bsnl.in	बीमा लोकपाल, बीमा लोकपाल कार्यालय, चौथी मंजिल, हिन्दुस्थान बिल्डिंग एनेक्स 4, सी. आर. ऐवन्यू, कोलकाता-700 072. फोन: 033-22124346/(40) फैक्स: 033-22124341 ईमेल: iombsbpa@bsnl.in	West Bengal, Bihar, Jharkhand and UT of Andaman & Nicobar Islands, Sikkim पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और केन्द्रशासित प्रदेश – अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, सिक्किम
LUCKNOW लखनऊ	Shri G. B. Pande श्री जी.बी. पांडे	Insurance Ombudsman, Office of the Insurance Ombudsman, Jeevan Bhawan, Phase-2, 6 th Floor, Nawal Kishore Road, Hazaratganj, LUCKNOW-226 001. Tel: 0522 -2231331 Fax: 0522-2231310 Email: insombudsman@rediffmail.com	बीमा लोकपाल, बीमा लोकपाल कार्यालय, जीवन भवन फेस-2, छठी मंजिल, नवल किशोर रोड़, हज़रतगंज लखनऊ-226 001. फोन: 0522-2231331 फैक्स: 0522-2231310 ईमेल: insombudsman@rediffmail.com	Uttar Pradesh and Uttaranchal उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल
MUMBAI मुंबई	Shri S. Viswanathan श्री एस. विश्वनाथन	Insurance Ombudsman, Office of the Insurance Ombudsman, 3rd Floor, Jeevan Seva Annexe, S.V. Road, Santacruz(W), MUMBAI-400 054. Tel: 022-26106928 Fax: 022-26106052 Email: ombudsmanmumbai@gmail.com	बीमा लोकपाल, बीमा लोकपाल कार्यालय, तीसरी मंजिल, जीवन सेवा एनैक्सी, एस.वी. रोड़, सांतक्रूज़ (वेस्ट), मुंबई-400 054. फोन: 022-26106928 फैक्स: 022-26106052 ईमेल: ombudsmanmumbai@gmail.com	Maharashtra, Goa महाराष्ट्र, गोवा

Canara HSBC Oriental Bank of Commerce Life Insurance Company Limited / केनरा एचएसबीसी ओरियंटल बैंक ऑफ कामर्स लाइफ इन्शोरेंस कंपनी लिमिटेड

Office Address / कार्यालय का पता

Unitech Trade Centre, 2nd Floor, Sushant Lok, Phase-1, Sector-43, Gurgaon-122009, Haryana, India

यूनिटेक ट्रेड सेंटर, दूसरी मंजिल, सुशांत लोक, फेस-1, सेक्टर-43, गुडगाँव-122009, हरियाणा, भारत

S.No.	Branch Locations / शाखा कार्यालयों के पते
1	Agra: 2nd Floor, Rajendra Point, Plot No. 1, Raghunath Nagar, M. G. Road, Agra - 282001, UP आगरा: दूसरी मंजिल, राजेन्द्रा प्वाइंट, प्लॉट नं. 1, रघुनाथ नगर, एम.जी. रोड, आगरा - 282001, उ.प्र.
2	Ahmedabad: 3rd Eye One, 3rd Floor, Office No. 305, Opp. Havmor Restaurant, Panchvati, C. G. Road, Ahmedabad - 380009, Gujarat अहमदाबाद: थर्ड आई वन, तीसरी मंजिल, ऑफिस नं. 305, हवमोर रेस्टोरेंट के सामने, पंचवटी, सी.जी. रोड, अहमदाबाद - 380009, गुजरात
3	Amritsar : 32-A, Third Floor, Cee Tee Mall, The Mall, Amritsar - 143001, Punjab अमृतसर: 32-ए, तीसरी मंजिल, सी.टी. मॉल, द मॉल, अमृतसर -143001, पंजाब
4	Bengaluru: 3rd Floor, Brigade Square, No.21 Cambridge Road, Ulsoor, Bengaluru - 560 008, Karnataka बैंगलूरु: तीसरी मंजिल, ब्रिगेड स्क्वेयर, नं. 21 कैम्ब्रिज रोड, उलसूर, बैंगलूरु-560008, कर्नाटक
5	Bareilly: 149, Civil Lines, Radha Bhawan, 2nd floor, Next to Raj Rani Hospital, Bareilly - 243001, UP बरेली: 149, सिविल लाइन्स, राधा भवन, दूसरी मंजिल, राज रानी हॉस्पिटल के बाद, बरेली - 243001 उ.प्र.
6	Bhopal: Plot# 238-A, III Floor, "Shashwat Tower", Zone-I, M.P. Nagar, Bhopal - 462011, MP भोपाल: प्लॉट नं. 238-ए, तीसरी मंजिल, "शाश्वत टावर", जोन-1, एम.पी. नगर, भोपाल-462011, म.प्र.
7	Bhubaneswar: Flat No. 202, 2nd Floor, Yasodhara Enclave, 731, Saheed Nagar, Bhubaneswar - 751007, Odisha भुवनेश्वर: फ्लैट नं. 202, दूसरी मंजिल, यशोदरा एनक्लेव, 731, शाहिद नगर, भुवनेश्वर - 751007, उड़ीशा
8	Calicut: 4th Floor, V-Zone Commercial Complex, Mavoor Road, Parayancheri, Calicut - 673016, Kerala कालीकट: चौथी मंजिल, वी-ज़ोन कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, मवूर रोड, पारायानचेरी, कालीकट - 673016, केरल
9	Chandigarh: S.C.O. 2917-2918, First Floor, Sec. 22 C, Chandigarh - 160022 चंडीगढ़: एस.सी.ओ. 2917-2918, पहली मंजिल, सेक्टर 22 सी, चंडीगढ़ -160022
10	Chennai: 3D, "RIAZ Gardens", 3rd Floor, Door No. 12 & 13, Kodambakkam High Road, Nungambakkam, Chennai - 600034, Tamil Nadu चेन्नई: 3डी, "रियाज" गार्डन्स, तीसरी मंजिल, डोर नं. 12 एवं 13, कोडम्बक्कम हाई रोड, नुंगम्बक्कम, चेन्नई - 600034, तमिलनाडू
11	Coimbatore: No.1023, R G Chambers, Avinashi Road, Coimbatore - 641018, Tamil Nadu कोयंबटूर: नं. 1023, आर जी चैम्बर्स, अविनाशी रोड, कोयंबटूर - 641018, तमिलनाडू
12	Delhi: C-31 & C-32, 1st Floor, Connaught Place, New Delhi-110001 दिल्ली: सी-31 & सी-32, पहली मंजिल, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001
13	Gurgaon: Branch Operations, Unitech Trade Centre, 2nd Floor, Sushant Lok, Phase-1, Sector-43, Gurgaon-122009, Haryana गुडगाँव: ब्रांच ऑपरेशन्स, यूनिटेक ट्रेड सेंटर, दूसरी मंजिल, सुशांत लोक, फेस-1, सेक्टर-43, गुडगाँव-122009, हरियाणा
14	Guwahati: Ganpati Enclave, 3rd Floor, Bora Service, G. S. Road, Guwahati - 781007, Assam गुवाहाटी: गणपति इनक्लेव, तीसरी मंजिल, बोरा सर्विस, जी. एस. रोड, गुवाहाटी - 781007, असम
15	Hubli: 163/5D, 3rd Floor, Kalburgi Landmark, Opp. Girls High School, Deshpande Nagar, Near Circuit House, Hubli - 580029, Karnataka हबली: 163/5डी, तीसरी मंजिल, कालबुर्गी लैंडमार्क, गर्ल्स हाई स्कूल के सामने, देशपांडे नगर, सर्किट हाउस के नजदीक, हबली - 580029, कर्नाटक
16	Hyderabad : House No. 6-3-1107 & 1108, 3 rd Floor, Rajbhawan Road, Hyderabad - 500082, AP हैदराबाद: हाउस नं. 6-3-1107 & 1108, तीसरी मंजिल, राजभवन रोड, हैदराबाद - 500082, आ.प्र.
17	Jaipur: Unit No. 501-503, Crystal Palms, Near Sahkar Bhawan, Jaipur - 302001, Rajasthan जयपुर: यूनिट नं. 501-503, क्रिस्टल पॉल्स, शाहकर भवन के पास, जयपुर - 302001, राजस्थान
18	Karnal: SCO. 93, 1st Floor, Sector 7, Urban Estate, Karnal - 132001, Haryana करनाल: एस.सी.ओ. 93, पहली मंजिल, सेक्टर 7, अर्बन इस्टेट, करनाल-132001, हरियाणा
19	Kolkata: 21, Camac Street, Bells House, 6th Floor, Kolkata - 700016, WB कोलकाता: 21, कैमक स्ट्रीट, बेल्ल्स हाउस, छठी मंजिल, कोलकाता -700016, प.बं.
20	Lucknow: 3 rd Floor, Canara Bank Regional Office, Opp. Fun Republic, Behind RBI & NABARD, Vipin Khand, Gomti Nagar, Lucknow - 226010, UP लखनऊ: तीसरी मंजिल, केनरा बैंक क्षेत्रीय कार्यालय, फन रिपब्लिक के सामने, आर.बी.आई & नार्बार्ड के पीछे, विपिन खंड, गोमती नगर, लखनऊ -226010, उ.प्र.
21	Ludhiana: 2 nd Floor, Plot No-4, New Lajpat Nagar, Pakhowal Road, Ludhiana-141001, Punjab लुधियाना: दूसरी मंजिल, प्लॉट नं. 4, न्यू लाजपत नगर, पखोवाल रोड, लुधियाना -141001, पंजाब
22	Madurai: ATP Tower, 4th Floor, 12/27A - By Pass Road, Madurai - 625 010, Tamil Nadu. मदुरई: ए टी पी टावर, चौथी मंजिल, 12/27 ए - बाई पास रोड, मदुरई - 625010, तमिलनाडू
23	Mumbai 1: 203, 2nd Floor, Neelyog Square, Opposite Ghatkopar Railway Station, Ghatkopar East, Mumbai - 400077, Maharashtra मुम्बई 1: 203, दूसरी मंजिल, नीलयोग स्क्वेयर, घाटकोपर रेलवे स्टेशन के सामने, घाटकोपर ईस्ट, मुम्बई - 400077, महाराष्ट्र
24	Mumbai 2: 402, 4th Floor, Hallmark, Business Plaza, Opp. Gurunanak Hospital, Kalanagar, Bandra East, Mumbai - 400051, Maharashtra मुम्बई 2: 402, चौथी मंजिल, हॉलमार्क, बिजनेस प्लाजा, गुरुनानक अस्पताल के सामने, कलानगर, बान्द्रा ईस्ट, मुम्बई - 400051, महाराष्ट्र
25	Patna: 2nd Floor, 202 - 206, Sisodia Palace, Near Gorakhnath Complex, East Boring Canal Road, Patna - 800001, Bihar पटना: दूसरी मंजिल, 202-206, सिंसोदिया पैलेस, गोरखनाथ कॉम्प्लेक्स के पास, ईस्ट बोरिंग कैनल रोड, पटना - 800001, बिहार
26	Pune: Unit no. 201, 2nd Floor, Pinnacle Building, S. No 31/2/1, North Main Road, Koregaon Park, Pune - 411001, Maharashtra पूना: यूनिट नं. 201, दूसरी मंजिल, पिनकल बिल्डिंग, एस. नं. 31/2/1, नॉर्थ मेन रोड, कोरेगांव पार्क, पूना - 411001, महाराष्ट्र
27	Trivandrum: 2nd Floor, New Jyothi Towers, S.S. Kovil Road, Thampanoor, Trivandrum - 695001, Kerala त्रिवेन्द्रम: दूसरी मंजिल, न्यू ज्योति टॉवर्स, एस.एस. कोविल रोड, थम्पानूर, त्रिवेन्द्रम - 695001, केरल

*As on date of issuance of policy / बीमा जारी होने की तिथि को